राज्य विधान मंडल को
दिनांक..... ...को
प्रस्तुत किया गया

भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2001 को अंत होनेवाले वर्ष

का प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ		iii
विहंगावलोकन		iv
अध्याय-1-सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.01	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नतायें	1.02	2
संग्रहण की लागत	1.03	3
बिक्री कर निर्धारण के बकाये मामले	1.04	4
छल और अपवंचन	1.05	5
संग्रहण का विश्लेषण	1.06	5
बकाया राजस्व	1.07	6
लंबित अपील के मामले	1.08	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.09	8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	1.10	9
विभागीय लेखा परीक्षा कमिटी मीटिंग	1.11	10
प्रारुप लेखा परीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.12	10
अध्याय-2-विशेष महत्व के प्रकरण		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का नहीं/कम प्रकटीकरण करने के कारण बिक्री राशि का छिपाया जाना	2.01	12
बिहार में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत कराधान	2.02	13
पट्टों का नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना	2.03	16
प्रेषित मामलों में अंतरीय मुद्रांक शुल्क का संग्रहण नहीं होना	2.04	17
अध्याय-3-बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.01	19
घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों के विरुद्ध बिक्री कर में छूट एवं रियायत	3.02	20
बिक्री राशि का छिपाया जाना	3.03	27
करारोपण से छूट की गलत स्वीकृति	3.04	28
केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	3.05	29
कर का कम लगाया जाना	3.06	29
कर की संगणना में भूल	3.07	30
अतिरिक्त कर का नहीं/कम लगाया जाना	3.08	30
वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम लगाया जाना	3.09	30
कर निर्धारण काल बाधित होने के कारण राजस्व की हानि	3.10	31
अधिक कर संग्रहण के लिए अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	3.11	31
गलत दरों से कर का लगाया जाना	3.12	32
अध्याय-4-राज्य उत्पाद		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.01	33
उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	4.02	33
देशी शराब की अधिक निकासी पर अतिरिक्त राशि का उद्ग्रहण नहीं होना	4.03	34
प्रशासनिक शुल्क का कम उद्ग्रहण होना	4.04	34

नीलामवाद प्रक्रियाओं के प्रारम्भ नहीं होने के कारण ब्याज की हानि	4.05	35
अध्याय-5-वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.01	36
वाहनों पर कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण	5.02	37
अभ्यर्पण में अन्तर्ग्रस्त वाहनों से कर का उद्ग्रहण नहीं होना	5.03	46
अध्याय-6-भू-राजस्व		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.01	48
दान की गयी भूमि में अनियमितताये	6.02	48
कृषि बाजार समितियों से आनुपातिक आय की नहीं/कम वसूली होना	6.03	49
भू-लगान का निर्धारण और उद्ग्रहण नहीं होना	6.04	50
सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण का नहीं हटाया जाना/बन्दोबस्ती नहीं किया जाना	6.05	51
भू-लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों का नहीं लगाया जाना	6.06	51
विभागीय प्राप्तियों के व्यय का अनधिकृत विचलन एवं लेखापित नहीं करना	6.07	52
अध्याय-7-अन्यकर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.01	53
क. मुद्रांक और निबंधन फीस		
बंधक दस्तावेजों पर अनियमित छूट की स्वीकृति	7.02	54
ख. विद्युत शुल्क		
अधिभार का कम लगाया जाना	7.03	54
ग. ईख पर कर		
ईख के क्रय पर कम कर का भुगतान होना	7.04	55
बकाये कर पर ब्याज का नही लगाया जाना	7.05	55
अध्याय-8-खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.01	57
लघु खनिज		
अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपित करना	8.02	57
बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के करण राजस्व की हानि	8.03	58
अध्याय-9-अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.01	59
क. वन प्राप्तियाँ		
गैर-वानिकी उद्येश्यों के लिये वन भूमि के विचलन में माँग का सृजन नहीं/कम किया जाना	9.02	60
विभागीय प्राप्तियों का लेखापित नहीं किया जाना	9.03	60
ख. जल दर		
खतियानी की तैयारी नहीं होने के कारण माँग का सृजन नहीं किया जाना	9.04	61
परिशिष्ट		
अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपित करना	8.02	62

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2001 को अंत हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य प्राप्तियों, जिनमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, शुल्क और रॉयल्टियाँ तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं, की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2000-2001 में तथा 2001-2002 के आरंभ में अभिलेखों की, की गयी नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये मामलों में से कुछ मामलों के साथ उन मामलों का भी उल्लेख किया गया है जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में तो आये पर पूर्ववर्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 837.65 करोड़ रुपये, जो 2000-01 की राजस्व प्राप्तियों का 23.79 प्रतिशत है, के कर के नहीं लगाने/कम लगाने/ कर की हानि से संबद्ध 2 समीक्षाओं सहित 36 कंडिकायें सम्मिलित हैं। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:-

1. सामान्य

वर्ष 1999-2000 की कुल प्राप्तियाँ 10659.53 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2000-2001 मे बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 11177.31 करोड़ रुपये थीं। कर-राजस्व के 2809.23 करोड़ रुपये और कर-भिन्न राजस्व के 711.68 करोड़ रुपये को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल 3520.91 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित किया। भारत सरकार से 7656.41 करोड़ रुपये (विभाज्य संघीय करों से राज्य का हिस्सा 6575.63 करोड़ रुपये और सहायता अनुदान 1080.78 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 31 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी। वर्ष 2000-01 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (1821.47 करोड़ रुपये) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (409.92 करोड़ रुपये) क्रमश: कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

[कंडिका 1.01(i) एवं (ii)]

निबंधन एवं राज्य उत्पाद विभागों के अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि वर्ष 1995-96 से 1999-2000 की अवधि में कुल राजस्व संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता संगत वर्षों के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कहीं अधिक थी।

[कंडिका 1.03 (ख)]

वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2000-2001 की अवधि में की गयी नमूना जाँच से 10627 मामलों में अंतर्ग्रस्त 968.95 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम निर्धारण/हानि उद्घटित हुए। वर्ष 2000-2001 के दौरान, संबद्ध विभागों ने 5303 मामलों में अंतर्ग्रस्त 40.86 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण स्वीकार किया, जिसमें 4952 मामलों में अंतर्ग्रस्त 32.75 करोड़ रुपये वर्ष 2000-2001 में लेखापरीक्षा के दौरान एवं शेष पिछले वर्षों में बताये गये थे।

[कंडिका 1.09]

दिसम्बर 2000 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या, जिनका निराकरण जून 2001 तक नहीं हो पाया था, क्रमश: 7356 एवं 40695 थीं जिसमें 2483.90 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त थे। 1745 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नही हुए हैं, यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

[कंडिका 1.10]

2. विशेष महत्व के प्रकरण

8 वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों की केन्द्रीय उत्पाद विभाग के अभिलेखों से तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि 44 विनिर्माताओं/व्यवसायियों द्वारा 136.23 करोड़ रुपये के कर योग्य बिक्री राशि को छिपाया गया। इसके फलस्वरुप अर्थदण्ड सहित 32.75 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

[कंडिका 2.01(i) एवं (ii)]

41 वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों की अनुसूचित मालों के 26 विनिर्माताओं की विक्रय विवरणियों से तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि अनुसूचित मालों के 1276 व्यवसायी न तो निबंधित किये गये थे और न उन्होंने मालों के प्रवेश पर प्रवेश कर का भुगतान ही किया था। इसके फलस्वरुप अर्थदण्ड एवं जुर्माना सहित 24.16 करोड़ रुपये का कर आरोपित नहीं किया गया।

[कंडिका 2.02 अ (i)]

राँची जिला के एक राजस्व अंचल में, 1381 पट्टों का नवीकरण नहीं किए जाने के फलस्वरुप सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज के रुप में 367.65 करोड़ रुपये राशि के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

[कंडिका 2.03]

3. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

'घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों के विरुद्ध बिक्री कर में छूट एवं रियायत' पर की गयी समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुये:-

12 वाणिज्यकर अंचलों के 50 विनिर्माताओं द्वारा मालों की प्राप्ति को छिपाये जाने के फलस्वरुप 58.84 करोड़ रुपये मूल्य के मालों को कम/नहीं लेखापित किया गया और अर्थदंड सहित 11.93 करोड़ रुपये राशि के कर का अपवंचन हुआ।

[कंडिका 3.02.05(i) एवं (ii)]

एक व्यवसायी द्वारा की गयी बिक्री को 7 वाणिज्यकर अंचलों के 7 व्यवसायियों के अभिलेखों से की गयी तिर्यक जाँच से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की बिक्री का छिपाया जाना और अर्थदण्ड सहित 5.71 करोड़ रुपये राशि के कर का अपवंचन उद्घटित हुआ।

[कंडिका 3.02.05(iii) (ख)]

6 अंचलों के 10 मामलों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत 417.91 करोड़ रुपये मूल्य के मालों के स्थानांतरण/बिक्री पर, जो विहित घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं थे, 32.37 करोड़ रुपये राशि का कम कर आरोपित किया गया।

[कंड़िका 3.02.06(i) (ii)]

3 वाणिज्यकर अंचलों में 383.52 करोड़ रुपये मूल्य के मालों पर 3 व्यवसायियों को छूट की गलत स्वीकृति के फलस्वरुप 42.54 करोड़ रुपये राशि का कर आरोपित नहीं किया गया।

[कंडिका 3.04)]

एक अंचल के 3 मामलों में, 391.02 करोड़ रुपये मूल्य की बिक्री पर, जो विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं थी, 8.11 करोड़ रुपये राशि का कर कम आरोपित किया गया।

[कंडिका 3.05]

4. राज्य उत्पाद

13 उत्पाद जिलों में, 231 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने और इन्हें विभागीय स्तर पर चलाने में विभाग की विफलता के फलस्वरुप 12.72 करोड़ रुपये के उत्पाद राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 4.02]

एक जिला उत्पाद कार्यालय में नीलामवाद प्रक्रियाओं के प्रारंभ नही किये जाने के फलस्वरुप 1.42 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

[कंडिका 4.05]

5. वाहनों पर कर

'वाहनों पर कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण' पर की गयी समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुये:-

22 जिला परिवहन कार्यालयों में कर के देनदार 67526 वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत नहीं किये जाने के फलस्वरुप 181.39 करोड़ रुपये राशि के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

[कंडिका 5.02.06(क)]

सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 4047 वाहनों के विरुद्ध 38.47 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान 30 वर्षों के बाद भी नहीं किया गया।

[कंडिका 5.02.10 (iii)]

सरकारी लेखा में राजस्व संग्रहण की शेष राशि जमा करने के लिए चेक निर्गत करने की प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने के फलस्वरुप 31 मार्च 2001 तक संग्रहण करने वाले 16 बैंकों द्वारा 4.26 करोड़ रुपये की राशि रोक रखी गयी।

[कंडिका 5.02.12 (ख)]

6. भू-राजस्व

एक जिला में, 29121.6075 एकड़ भूदान भूमि का हस्तान्तरण/बंदोबस्ती नहीं किये जाने के फलस्वरुप लगान एवं उपकर के रुप में 3.56 करोड़ रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

[कंडिका 6.02(क)]

7 जिलों के 10 राजस्व अंचलों में, 327 रैयतों (काश्तकारों) ने 63 एकड़ कृषि योग्य भूमि को, उस पर दुकान, पेट्रोल पम्प, आरा मिल, सिनेमा घर आदि बनाकर/स्थापित कर, वाणिज्यिक प्रयोजनों में परिवर्तित किया जिसके फलस्वरुप 1.12 करोड़ रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

[कंडिका 6.04]

7. अन्य कर प्राप्तियाँ

क. मुद्रांक एवं निबंधन फीस

6 जिला अवर निबंधक एवं 3 अवर निबंधक कार्यालयों द्वारा 304 दस्तावेजों के संबंध में छूट की गलत स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरुप मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रुप में 0.50 करोड़ रुपये का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

[कंडिका 7.02]

ख. विद्युत शुल्क

2 वाणिज्यकर अंचलों में 3 अनुज्ञप्तिधारियों के मामलों में कर निर्धारण पदाधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय 19.10 करोड़ इकाई ऊर्जा की बिक्री पर 0.38 करोड़ रुपये आरोप्य अधिभार के बदले

0.02 करोड़ रुपये का अधिभार आरोपित किया। इसके फलस्वरुप 0.36 करोड़ रुपये का कम अधिभार आरोपित किया गया।

[कंडिका 7.03]

ग. ईख पर कर

पेराई वर्ष 1999-2000 के लिए 5 चीनी मिलों द्वारा ईख की खरीद पर 0.46 करोड़ रुपये कर का कम भुगतान किया गया।

[कंडिका 7.04]

8. खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टियाँ

14 जिला खनन कार्यालयों में 4005 ईंट भट्ठों के अनधिकृत संचालन पर 8.83 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड या तो आरोपित नहीं किया गया या कम आरोपित किया गया।

[कंडिका 8.02]

5 जिला खनन कार्यालयों में, बंदोबस्ती के उचित पट्टों का निष्पादन किये बिना 16। बालूयुक्त क्षेत्रों की बंदोबस्ती किये जाने के फलस्वरुप 0.74 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई।

[कंडिका 8.03]

9. अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ

एक वन प्रमंडल के 3 मामलों में गैर-वानिकी उद्येश्यों के लिए 11.62 हेक्टेयर भूमि के विचलन पर पुनरीक्षित दर से शुद्ध वर्त्तमान मूल्य (एन.पी.भी.) के लिए 0.40 करोड़ रुपये की मांग सृजित नहीं की गयी।

[कंडिका 9.02]

अध्याय 1 : सामान्य

1.01 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार सरकार द्वारा संग्रहित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत 2 वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिये गये हैं :-

(करोड़ रुपये में)

		1998-99	1999-2000	1.4.2000	15.11.2000	2000-2001[1]
				14.11.2000	31.3.2001	
I.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व	3827.64	4250.65	2277.46	1243.45	3520.91
	(क) कर राजस्व	2681.35	3084.79	1722.51	1086.72	2809.23
	(ख) कर-भिन्न राजस्व	1146.29	1165.86	554.95	156.73	711.68
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ	5468.55	6408.88	4422.03	3234.38	7656.41
	(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	4441.23	4962.59	3819.94	2755.69	6575.63
	(ख) सहायता अनुदान	1027.32	1446.29	602.09	478.69	1080.78
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ[2] (I एवं II)	9296.19	10659.53	6699.49	4477.83	11177.31
IV.	III और I की प्रतिशतता	41	40	34	28	31

(i) विगत 2 वर्षों के आँकड़ों के साथ-साथ वर्ष 2000-2001 के दौरान संग्रहित कर राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1998-99	1999-2000	1.4.2000	15.11.2000	2000-2001	1999-2000 की अपेक्षा 2000-2001 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
				14.11.2000	31.3.2001		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1821.85	2067.79	1115.98	705.49	1821.47	(-) 12
2	राज्य उत्पाद	239.51	277.80	165.77	76.81	242.58	(-) 13
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	279.34	325.77	201.61	100.25	301.86	(-) 7
4	वाहनों पर कर	164.96	178.47	113.87	110.11	223.98	(+) 26
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	67.04	85.25	29.67	7.10	36.77	(-) 57
6	भू-राजस्व	24.60	28.67	11.38	22.95	34.33	(+) 20

[1] 1998-99 एवं 1999-2000 के आँकड़े विभाजन पूर्व बिहार (झारखण्ड सहित) के राजस्व प्राप्तियों को दर्शाते है जबकि 2000-01 के आँकड़े विभाजन पश्चात् बिहार (झारखण्ड रहित) के राजस्व प्राप्तियों को दर्शाते हैं।

[2] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2000-2001 के वित्त लेखे में विवरणी 11-लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष "0020- निगम कर, 0021- निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028- आय और व्यय पर अन्य कर, 0032- सम्पत्ति पर कर, 0044- सेवा पर कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- संघीय उत्पाद कर एवं 0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क - लघु शीर्ष 901 निवल प्राप्तियों में राज्यों को समनुदिष्ट हिस्सा" के अंतर्गत आँकड़े, जो वित्त लेखा में "क-कर राजस्व" में दिखाये गये हैं, को "राज्य द्वारा संग्रहित राजस्व" से हटाकर "विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश" में सम्मिलित कर उक्त विवरणी में दिखाया गया है।

1	2	3	4	5	6	5	6
7	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	24.26	27.10	14.28	9.10	23.38	(-) 14
8	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	59.78	93.92	69.94	54.90	124.84	(+) 33
9	कृषि आय पर कर	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	--
	कुल	**2681.35**	**3084.79**	**1722.51**	**1086.72**	**2809.23**	(-) 9

वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-2001 की प्राप्तियों में भिन्नता का मुख्य कारण 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरुप बिहार राज्य का विभाजन था। इसके अतिरिक्त मुद्रांक एवं निबंधन फीस में कमी का कारण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की निबंधन दरों को फरवरी 2000 से कम किया जाना बताया गया। गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण, अन्य संबद्ध विभागों से यद्यपि माँगे गये (मई 2001), किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

(ii) विगत 2 वर्षों के आँकड़ों के साथ-साथ वर्ष 2000-2001 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1998-99	1999-2000	1.4.2000	15.11.2000	2000-2001	1999-2000 की अपेक्षा 2000-2001 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
				14.11.2000	31.3.2001		
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	740.92	707.56	382.57	27.35	409.92	(-) 42
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	18.48	28.03	10.76	0.74	11.50	(-) 59
3	ब्याज प्राप्तियाँ	135.99	135.75	11.53	19.15	30.68	(-) 77
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	24.47	28.04	15.39	11.24	26.63	(-) 5
5	अन्य	226.43	266.48	134.70	98.25	232.75	(-) 13
	कुल	**1146.29**	**1165.86**	**554.95**	**156.73**	**711.68**	**(-) 39**

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण, यद्यपि संबद्ध विभागों से माँगे गये (मई 2001), किंतु अनेक स्मार एवं व्यक्तिगत सम्पर्कों के बावजूद प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

1.02 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों से भिन्नतायें

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान मुख्य राजस्व शीर्षों में बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच की भिन्नताएँ नीचे दी गयी हैं :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	राज्य के विभाजन के पश्चात् पुनरिक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+) ह्रास (-)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
क	**कर राजस्व**				
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1950.88	1821.47	(-) 129.41	(-) 7
2	राज्य उत्पाद	275.90	242.58	(-) 33.32	(-) 12

1	2	3	4	5	6
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	343.48	301.86	(-) 41.62	(-) 12
4	वाहनों पर कर	177.73	223.98	(+) 46.25	(+) 26
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	41.90	36.77	(-) 5.13	(-) 12
6	भू-राजस्व	37.61	34.33	(-) 3.28	(-) 9
7	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	18.86	23.38	(+) 4.51	(+) 24
8	माल एवं यात्रियों पर कर - स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	88.36	124.84	(+) 36.48	(+) 41
ख	**कर-भिन्न राजस्व**				
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	350.00	409.92	(+)59.92	(+) 17
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	31.77	11.50	(-) 20.27	(-) 64
3	ब्याज प्राप्तियाँ	132.81	30.68	(-) 102.13	(-) 77

बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता के कारण, यद्यपि संबद्ध विभागों से माँगे गये (मई 2001), किंतु प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

1.03 संग्रहण की लागत

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ-साथ वर्ष 1999-2000 के लिए सकल संग्रहण की तुलना में संग्रहण पर हुए व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गयी है :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1999-2000 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1998-99	1821.85	22.24	1.22	1.56
		1999-2000	2067.79	32.99	1.60	
		2000-2001	1821.47	24.96	1.37	
2	राज्य उत्पाद	1998-99	239.51	15.72	6.56	3.31
		1999-2000	277.80	20.34	7.32	
		2000-2001	242.58	17.03	7.02	
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1998-99	279.34	18.10	6.48	4.62
		1999-2000	325.77	19.11	5.87	
		2000-2001	301.86	17.41	5.76	
4	वाहनों पर कर	1998-99	164.96	4.00	2.42	3.56
		1999-2000	178.47	6.52	3.65	
		2000-2001	223.98	4.88	2.18	

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि राज्य उत्पाद और मुद्रांक एवं निबंधन फीस के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता वर्ष 1999-2000 के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी।

(ख) निबंधन एवं उत्पाद विभागों के अभिलेखों की तदन्तर जाँच से पता चला कि वर्ष 1995-96 से 1999-2000 की अवधि में संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण की तुलना में संग्रहण पर हुए व्यय से संबद्ध अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्न प्रकार थी :-

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1995-96	5.38	3.46
		1996-97	5.69	3.37
		1997-98	5.71	3.14
		1998-99	6.48	5.45
		1999-2000	5.87	4.62
2	राज्य उत्पाद	1995-96	6.89	3.20
		1996-97	6.08	3.53
		1997-98	6.56	3.20
		1998-99	6.56	3.25
		1999-2000	7.32	3.31

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि ऊपर लिखित दोनों मुख्य शीर्षो के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से सदैव अधिक थी।

इसे बताये जाने पर (जून 2001), निबंधन विभाग ने संग्रहण पर अधिक व्यय का कारण भागीदारी (पार्टनरशिप) संलंख पर मुद्रांक शुल्क का तर्कसंगत नहीं होना, राज्य में फ्लैट का निबंधन नहीं होना तथा पदों के विलयन के कारण वेतन एवं भत्ते पर अत्यधिक खर्च का होना बताया (जून 2001)। विभाग ने तदन्तर बताया कि मुद्रांक शुल्क की बढोत्तरी हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पदों का विलयन समाप्त किया जाय तथा कर आधार तर्कसंगत बनाने हेतु मुद्रांक अधिनियम एवं भागीदारी अधिनियम में संशोधन किया जाय जिसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। अतिरिक्त व्यय में कमी करने हेतु मुद्रांक विक्रेताओं के द्वारा मुद्रांक की बिक्री की वर्त्तमान प्रथा को समाप्त करने हेतु विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

राज्य उत्पाद विभाग के संबन्ध में विभाग ने बताया (जून 2001) कि राजस्व संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के दौरान राजस्व संग्रहण में वृद्धि के कारण 6.89 से घटकर 6.56 हो गई है तथा विभाग नई उत्पाद नीति के लिये भी विचार कर रहा है जिससे संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता में कमी आयेगी। विभाग का उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता वर्ष 1996-97 के 6.08 के विरुद्ध वर्ष 1997-98 में 6.56 हो गई और वर्ष 1999-2000 में विशेष वृद्धि (7.32) हुई, जो संग्रहण पर व्यय में कमी लाने में विभाग की विफलता दर्शाता है। तदन्तर, राजस्व संग्रहण पर सही व्यय पता लगाने हेतु कर्मचारियों की वर्षवार एवं संवर्गवार संख्या विभाग द्वारा नहीं दी गयी यद्यपि मांगी गयी थी (जून 2001)। मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001 एवं दिसम्बर 2002); उत्तर अपेक्षित है (मार्च 2003)।

1.04 बिक्री कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1996-97 से 2000-2001 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री कर निर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अंत में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, नीचे दिये गये हैं:-

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले	कुल	वर्ष के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 6 की 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1996-97	104794	93027	197821	114762	83059	42
1997-98	83059	96017	179076	83488	95588	53
1998-99	95588	103094	198682	127830	70852	36
1999-2000	70852	100654	171506	79938	91568	53
2000-2001	82902[3]	96560	179462	50407	129055	72

बकाये मामलों को नियंत्रित रखने के लिए 1998-1999 में किए गये प्रयासों को बनाए रखते हुए बकाये में और कमी लाने हेतु और उपाय करने की आवश्यकता है।

1.05 छल और अपवंचन

वर्ष के प्रारंभ में लम्बित कर और शुल्क से संबंधित छल और अपवंचन के मामले, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पता लगाये गये मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान क़र निर्धारित/जाँच सम्पन्न हुए मामलों की संख्या एवं व्यवसायियों के विरुद्ध की गयी कर/शुल्क की अतिरिक्त माँग (अर्थदंड आदि सहित) तथा मार्च 2001 के अंत में निष्पादन के लिये लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा सम्बद्ध विभागों द्वारा प्रस्तुत किया गया, नीचे दिये जा रहे हैं:-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	विभाग	31 मार्च 2000 को लंबित मामले	2000-2001 के दौरान पता लगाये गये मामले	मामलों की संख्या जिसमें निर्धारण/जाँच संपन्न हुए तथा अर्थदंड आदि सहित अतिरिक्त माँग सृजित की गई		31 मार्च 2001 को निष्पादन के लिये लंबित मामले
				मामलों की संख्या	माँग की राशि	
1.	जल संसाधन	6	शून्य	शून्य	12.78	6
2.	वित्त (वाणिज्यकर)	311[4]	704	662	140.46	353
3.	परिवहन	275	450	शून्य	शून्य	725
4.	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	13	शून्य	शून्य	शून्य	13

अन्य विभागों से भी सूचनायें माँगी गयीं (मई 2001), किंतु विभागाध्यक्षों को अनेक स्मार देने एवं व्यक्तिगत संपर्कों के बावजूद प्राप्त नहीं हुईं (मार्च 2003)।

1.06 संग्रहण का विश्लेषण

वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2000-2001 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर का कुल संग्रहण (कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद) तथा विगत दो वर्षों के तत्संबंधी आँकड़ों के अलग-अलग ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

[3] विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1999-2000 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अंतशेष 91568 से 8666 का अंतर है। विभाग ने अंतर का कारण झारखण्ड के मामलों को हटाया जाना बताया।

[4] विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1999-2000 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अंतशेष 349 से 38 का अंतर है। विभाग ने अंतर का कारण झारखण्ड के मामलों को हटाया जाना बताया।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित निर्धारण के बाद संग्रहित राशि		कर का कुल संग्रहण	वित्त लेखा के अनुसार कुल संग्रहण	कुल संग्रहण में निर्धारण पूर्व संग्रहण की प्रतिशतता (कॉलम 5 की तुलना में 2)
		अतिरिक्त माँग	कर एवं शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिये अर्थदंड			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1998-99	1743.34	50.63	0.75	1794.72	1821.85	97
1999-2000	1995.22	58.03	1.04	2054.29	2067.79	97
2000-2001	1794.11	19.11	1.55	1814.77	1821.47	99

इस प्रकार, नियमित कर निर्धारण के पश्चात् अर्थदंड सहित अतिरिक्त कर संग्रहण कुल कर संग्रहण के अनुपात में कम था ।

1.07 बकाया राजस्व

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2001 को बकाया राजस्व निम्नवत् था:-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया	अभ्युक्तियाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	691.79	अप्राप्त	691.79 करोड़ रुपये में से 172.76 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 361.89 करोड़ रुपये की वसूली पर न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। शेष 157.14 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2001),नहीं दी गयी (मार्च 2003)।
2	जल दर	86.30	अप्राप्त	86.30 करोड़ रुपये में से एक करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 6.29 करोड़ रुपये एवं 0.06 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमश: न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 0.63 करोड़ रुपये की वसूली भूल-सुधार/आवेदनों पर पुनर्विचार के कारण रुकी रही। 0.81 करोड़ रुपये की राशि अपलेखन योग्य थी। शेष 77.51 करोड़ रुपये के बकाये के बारे में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2001), नहीं दी गयी (मार्च 2003)।

3	वाहनों पर कर	80.43	अप्राप्त	80.43 करोड़ रुपये में से 66.32 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाए भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 0.33 करोड़ रुपये एवं 0.05 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमश: उच्च न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 0.02 करोड़ रुपये की वसूली भूल-सुधार/आवेदनों पर पुनर्विचार के कारण रुकी रही। 3.24 करोड़ रुपये का अपलेखन संभावित था। शेष 10.47 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (मार्च 2003) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2001)।
4	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	59.07	अप्राप्त	59.07 करोड़ रुपये में से 53.83 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। शेष 5.24 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2001), नहीं दी गयी (मार्च 2003)।
5	राज्य उत्पाद	45.44	40.72	45.44 करोड़ रुपये में से 2.84 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 30.09 करोड़ रुपये एवं 0.26 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 0.17 करोड़ रुपये की वसूली भूल-सुधार/पुनर्विचार के कारण रुकी रही। 0.11 करोड़ रुपये की राशि अपलेखन योग्य थी। शेष 11.97 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (मार्च 2003) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2001)।
6	विद्युत पर कर और शुल्क	17.47	3.68	17.47 करोड़ रुपये में से 6.92 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। शेष 10.55 करोड़ रुपये के बकाये के बारे में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2001), नहीं दी गयी (मार्च 2003)।
7	ईख पर कर	16.19	11.10	16.19 करोड़ रुपये में से 4.83 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 0.47 करोड़ रुपये एवं 10.89 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी।
8	प्रवेश कर	11.93	5.94	बकाये राशि के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, विभाग द्वारा नहीं दी गयी (मार्च 2003) यद्यपि इसकी मांग की गयी थी (मई 2001)।

9	मनोरंजन कर	3.72	0.24	3.72 करोड़ रुपये में से 1.58 करोड़ रुपये मांग की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामबाद दायर किये गये। 0.04 करोड़ रुपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी। शेष 2.10 करोड़ रुपये के बकाये राशि के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (मार्च 2003) यद्यपि इसकी मांग की गयी थी (मई 2001)।

वर्ष 2000-2001 के अंत में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु लंबित बकाये राजस्व की स्थिति सरकार द्वारा सूचित नहीं की गयी (मार्च 2003) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2001)।

1.08 लंबित अपील के मामले

वाणिज्यकर विभाग द्वारा दी गयी सूचना (दिसम्बर 2001) के अनुसार उनके द्वारा प्रशासित बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं अन्य कराधान नियमों के अधीन 1996-97 से 2000-2001 की अवधि के दौरान दायर की गयी अपील के मामलों की संख्या, निष्पादित अपीलों की संख्या तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या निम्नवत् है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	कुल	वर्ष के दौरान निपटायी गयी अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष	कुल मामलों की संख्या से निपटाये गये मामलों की प्रतिशतता
1996-97	11181	3666	14847	5233	9614	35
1997-98	9614	2498	12112	3406	8706	28
1998-99	8706	2641	11347	4356	6991	38
1999-2000	6991	5390	12381	3406	8975	28
2000-01	2248[5]	534	2782	606	2176	22

1.09 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 10627 मामलों में अन्तर्ग्रस्त 968.95 करोड़ रुपये राशि के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष 2000-2001 के दौरान संबंधित विभागों ने 5303 मामलों में अंतर्ग्रस्त 40.86 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जिनमें 32.75 करोड़ रुपये से अंतर्ग्रस्त 4952 मामले 2000-2001 की अवधि में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में बताये गये।

इस प्रतिवेदन में 837.65 करोड़ रुपये के कर प्रबंधन के विभिन्न पक्षों की त्रुटियों को दर्शाते हुए 2 समीक्षाओं सहित 36 कंडिकायें सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में बताये गये अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों में, ये मामले महत्वपूर्ण मामलों को निरुपित करते हैं। इनमें से विभाग/सरकार ने दिसम्बर 2002 तक 64.31 करोड़ रुपये अंतर्निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया जिनमें

[5] विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1999-2000 के प्रतिवेदन में दिखाए गए अंतशेष 8975 से 6727 का अंतर है। विभाग ने अंतर का कारण झारखण्ड के मामलों को हटाया जाना बताया।

से मात्र 67.29 लाख रुपये की वसूली हुई। सरकार ने कुल 8.67 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभाव की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार नहीं की। तथापि, उनके द्वारा अस्वीकार करने के जो आधार बताये गये वे तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के विपरीत थे जिन्हें लेखापरीक्षा द्वारा संबद्ध कंडिकाओं/समीक्षाओं में उल्लिखित कारणों से स्वीकार नहीं किये गये हैं। अन्य मामलों में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

1.10 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

(क) स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रारंभिक अभिलेखों में त्रुटियों से संबद्ध लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जिनका निराकरण तत्काल नहीं हो पाता है, उन्हें लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालय प्रधानों और उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों को त्वरित कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। अतिमहत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूचना विभागाध्यक्ष एवं सरकार को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई हेतु दी जाती है। इसके अतिरिक्त 6 महीनों से अधिक लंबित ऐसी आपत्तियों का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष शीघ्र निष्पादन के लिये भेजा जाता है।

दिसम्बर 2000 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जिनका निष्पादन 30 जून 2001 तक नहीं किया गया था, की संख्या विगत 2 वर्षों के तत्सम्बंधी आँकड़ों के साथ नीचे दी जा रही है:

	जून के अंत तक		
	1999	**2000**	**2001**
1. लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	9537	10324	7356
2. लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	41562	43704	40695
3. अंतर्ग्रस्त राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में)	3127.80	3492.50	2483.90

(ख) निम्नलिखित विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ विशेष रूप से अधिक थीं :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विभाग	राजस्व शीर्ष	लंबित		अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है	अंतर्ग्रस्त राशि
			निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या		
1	राजस्व	भू-राजस्व	4134	24314	1980-81	485.93
2	वित्त (वाणिज्यकर)	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	828	5364	1980-81	313.63
3	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	528	3545	1981-82	619.28
4	परिवहन	वाहनों पर कर	354	2938	1984-85	321.21
5	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	289	1451	1982-83	58.39
6	जल संसाधन	जल दर	372	1524	1982-83	549.03
7	ईख	ईख पर कर	176	449	1981-82	85.29
8	वन एवं पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	50	132	1981-82	26.87

(ग) यद्यपि सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक महीना के अन्दर प्रस्तुत किया जाना है, परन्तु दिसम्बर 2000 तक निर्गत 1745 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबद्ध प्रथम उत्तर भी निम्नलिखित विभागों से जून 2001 तक प्राप्त नहीं हुए थे :-

क्रमांक	विभाग	राजस्व शीर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से सम्बन्धित है
1	राजस्व	भू-राजस्व	1251	1982-83
2	उत्पाद एवं मद्य-निषेध	राज्य उत्पाद	44	1981-82
3	परिवहन	वाहनों पर कर	117	1984-85
4	वित्त (वाणिज्यकर)	(i) बिक्री, व्यापार आदि पर कर	43	1998-99
		(ii) विद्युत शुल्क (iii)माल एवं यात्रियों पर कर (iv)मनोरंजन कर	24	1997-98
5	राजस्व (निबंधन विभाग)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	128	1980-81
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	46	1982-83
7	ईख	ईख पर कर	54	1981-82
8	जल संसाधन	जल दर	20	1998-99
9	वन एवं पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	18	1984-85
कुल			**1745**	

उपर्युक्त स्थिति से सरकार के मुख्य सचिव को अवगत कराया गया (जुलाई 2001); परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2003)। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुपालन संतोषप्रद नहीं होने के फलस्वरूप लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रवृत्ति बढ़ती हुई देखी गयी।

1.11 विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठक

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों के शीघ्र निष्पादन हेतु सरकार द्वारा विभागीय लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाता है। इन समितियों में महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के अलावा प्रशासनिक विभागों के प्रतिनिधि सन्निहित है।

लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों के शीघ्र निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा समिति की नियमित बैठक हो तथा एक वर्ष से अधिक लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु अंतिम रुप से सुनिश्चित कदम उठाया जाय।

वर्ष 2000-01 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 4 बैठकों के लिये सरकार के विभागों से अनुरोध किया गया (जून 2000) किन्तु सरकार ने कई स्मार के बावजूद एक भी बैठक का आयोजन नहीं किया। इसने 30 जून 2001 को 2483.90 करोड़ रुपये के लम्बित लेखा परीक्षा आपत्तियों (40695 की संख्या) के निष्पादन हेतु सरकार के अभिरुचि में अभाव को परिलक्षित किया।

1.12 प्रारुप लेखा परीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

बिहार सरकार द्वारा जारी अनुदेशों (1966) के अनुसार प्रारुप लेखा परीक्षा कंडिकाओं का उत्तर इनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के अन्दर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना है। प्रारुप कंडिकायें सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि वे उन पर अपने मन्तव्य छः सप्ताह के अन्दर भेज दें। सरकार से उत्तर नहीं प्राप्त होने का तथ्य लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रत्येक कंडिका के नीचे दिये गये हैं।

31 मार्च 2001 को अंत होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों)-बिहार सरकार में शामिल 36 प्रारुप कंडिकायें सरकार के सचिवों को अग्रसारित किये गये थे।

विभिन्न विभागों के सचिवों ने 34 प्रारुप कंडिकाओं के उत्तर नहीं भेजा। अत: 34 कंडिकायें सरकार की प्रतिक्रिया के बगैर ही इस प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

अध्याय 2 : विशेष महत्व के प्रकरण

2.01 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का नहीं/कम प्रकटीकरण करने के कारण बिक्री राशि का छिपाया जाना

बिहार वित्त (बि.वि.) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत विक्रय मूल्य का अभिप्राय व्यवसायी को देय उस राशि से है जो वस्तुओं की बिक्री या आपूर्ति के मूल्यवान प्रतिफल के रुप में होता है। न्याय निर्णय में यह माना गया है कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद या राज्य उत्पाद नियमों के अंतर्गत किये गये शुल्क या कर का भुगतान विक्रय मूल्य का अभिन्न अंग होता है चाहे इन्हें अलग से लिया गया हो या नहीं और चाहे इनकी वसूली विक्रेता द्वारा विक्रय मूल्य के साथ या बाद की तिथि में की गयी हो।

तदन्तर यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यापारी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा अथवा उसे दर्शाने में असफल रहा है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत ब्यौरा दाखिल किया है और इस प्रकार वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल की है, तो उक्त प्राधिकारी ऐसी बिक्री राशि के संबंध मे व्यवसायी से प्राप्य कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा और व्यवसायी को, छिपायी गयी बिक्री राशि पर निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त दण्डस्वरुप निर्धारित कर की राशि के तीन गुणा से अधिक नहीं, किन्तु कर की राशि के समतुल्य राशि से कम नहीं, भुगतान का आदेश देगा।

(i) 8 वाणिज्य कर अंचलों[1] में निबंधित, सिमेंट, सी.आई. कास्टिंग, ऑटो पार्ट्स, औद्योगिक गैस, मशीन, टिनप्लेट आदि के 41 विनिर्माताओं के कर निर्धारण अभिलेखों की केन्द्रीय उत्पाद विभाग में संपोषित अभिलेखों से तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायियों ने 1994-95 से 1999-2000 की अवधि के दौरान (कर निर्धारण नवम्बर 1996 और अप्रैल 2000 के मध्य) किये गये 325.16 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के वास्तविक भुगतान, जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से संबंधित अभिलेखों में दर्शाया गया है, के विरुद्ध अपनी बिक्री कर विवरणियों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान मात्र 200.01 करोड़ ही प्रकट किया है। इसके फलस्वरुप 125.15 करोड़ रुपये की कर योग्य राशि को छिपाया गया। परिणामत: 20.40 करोड़ रुपये के दण्ड सहित 27.50 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ। इनमें से 4 व्यवसायियों[2] के मामले में प्रत्येक में 1 करोड़ रुपये से अधिक का कर प्रभाव था जिसमें कुल कर प्रभाव 23.31 करोड़ रुपये सन्निहित था।

(ii) 2 वाणिज्यकर अंचलों के बस, ट्रक बॉडी निर्माण और सिमेंट के व्यवसाय से सम्बद्ध 3 व्यवसायियों के अभिलेखों की उनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद विभाग में प्रस्तुत की गयी विवरणियों से तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायियों ने 1996-97 और 1998-99 की अवधि के मध्य (नवम्बर 1998 और 1999 के मध्य कर निर्धारित) बेचे गये सामानों को कम लेखापित करते हुए 11.08 करोड़ रुपये की कर देय बिक्री राशि को छिपाया था। इसके फलस्वरुप 3.84 करोड़ रुपये के दण्ड सहित

[1] *आदित्यपुर, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची (पश्चिमी), सिंहभूम, पाटलिपुत्र और कोडरमा।*

[2] *i. मेसर्स दी टिनप्लेट कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जमशेदपुर।*
ii. मेसर्स टी.आर.एफ. लिमिटेड, जमशेदपुर।
iii. मेसर्स टाटा कॉमिन्स लिमिटेड, जमशेदपुर।
iv. मेसर्स बिहार फाउन्ड्री एण्ड कास्टिंग लिमिटेड, राँची।

5.25 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ जैसा कि नीचे की तालिका में दिखाया गया है-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	अंचल का नाम व्यवसायी का नाम	अवधि कर निर्धारण की तिथि	वस्तु दर (प्रतिशत)	केन्द्रीय उत्पाद विवरणी के अनुसार बिक्री राशि बिक्री कर विवरणी के अनुसार बिक्री राशि	छिपायी गयी बिक्री राशि	कर दण्ड (आरोप्य)	कुल
1	आदित्यपुर अंचल, जमशेदपुर मे. ट्रैमको कोचेज (प्रा.) लिमिटेड, आदित्यपुर	1997-98 7/99	बस, ट्रक, बॉडी 10	3.82 1.94	1.88	0.23 0.62	0.85
		1998-99 10/99	तथैव	3.59 2.91	0.68	0.08 0.23	0.31
2	आदित्यपुर अंचल, जमशेदपुर मे. भलोटिया इंजिनियरिंग वर्क्स (प्रा.) लिमिटेड, गमहरिया	1998-99 11/99	तथैव	6.96 3.58	3.38	0.41 1.13	1.54
3	राँची पश्चिमी अंचल, राँची मे. लेमॉस सिमेंट्स लिमिटेड, खेलारी, राँची	1996-97 11/98	सिमेंट 11	8.67 4.04	4.63	0.62 1.68	2.30
		1997-98 9/99	तथैव	3.54 3.03	0.51	0.07 0.18	0.25
कुल				**26.58** **15.50**	**11.08**	**1.41** **3.84**	**5.25**

इन्हें बताये जाने पर (अक्टूबर 2000 और जून 2001 के मध्य) विभाग ने कहा (दिसम्बर 2000 और जून 2001 के मध्य) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नही हुए है (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

2.02 बिहार में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कराधान

(अ) निबंधन

अनुसूचित वस्तुओं का व्यवसाय करनेवाले प्रत्येक व्यवसायी/व्यक्ति, जो या तो बि.वि. अधिनियम, 1981 के अंतर्गत निबंधित है या विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक वस्तुओं का आयात करता है, उसे बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, व्यवहार या बिक्री के लिये मालों के प्रवेश पर कर (बि.प्र.क.) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत एक वैध निबंधन प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। करदेयता के सात दिनों के भीतर निबंधन के लिए आवेदन करने में असफल होने पर, वह चूक के लिए करारोपण के अतिरिक्त, 50 रु. प्रत्येक दिन की दर से या निर्धारित की गयी कर की राशि के समतुल्य, जो भी कम हो, के दण्ड का देनदार होगा।

44 वाणिज्य कर अंचलों[3] के अनुसूचित वस्तुओं के व्यवसायियों के अभिलेखों की बाहर के राज्यों के 21 विनिर्माताओं (बिक्री कर/केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा प्राप्त) और बिहार के 5 विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गयी अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री विवरणी से तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि:-

(i) 41 वाणिज्यकर अंचलों[4] में 1993-94 से 1999-2000 की अवधि के दौरान अनुसूचित वस्तुओं के निबंधन योग्य 1276 व्यवसायी न तो बि.प्र.क. अधिनियम के अंतर्गत निबंधित थे और न उन्होंने 281.69 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं के प्रवेश पर प्रवेश कर का भुगतान ही किया था, जिसके फलस्वरुप 3.03 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड और 8.50 करोड़ रुपये के जुर्माना सहित 24.16 करोड़ रुपये का कर नही लगाया गया, जैसा कि नीचे ब्यौरा है:-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	वस्तु के नाम	सन्निहित अंचलों की संख्या	अनिबंधित व्यवसायियों की संख्या	आयातित वस्तुओं का मूल्य	आरोप्य राशि			
					कर	अर्थ दण्ड	जुर्माना	कुल
1	तम्बाकू उत्पादन	39	1056	7228.66	216.86	183.86	740.75	1141.47
2	वनस्पति	26	168	9689.69	484.48	81.44	53.53	619.45
3	भा.नि.वि.श.	23	35	9898.32	494.47	24.63	33.71	552.81
4	सिमेंट	5	17	1351.95	67.57	12.69	22.13	102.39
कुल			**1276**	**28168.62**	**1263.38**	**302.62**	**850.12**	**2416.12**

इन्हें बताये जाने पर (जून 2000) विभाग ने कहा (मई 2001) कि 4 मामलों में (जमशेदपुर अंचल) 0.06 करोड़ रुपये की माँग सृजित की गयी है। अन्य अंचलों द्वारा की गयी कार्रवाई सूचित नहीं की गयी (मार्च 2003)।

(ii) 4 अंचलों[5] के 9 व्यवसायियों के मामले में, जो अनुसूचित वस्तुओं का व्यवसाय करते थे और बि.वि. अधिनियम के अंतर्गत निबंधित थे तथा जिनकी करदेयता 25 फरवरी 1993 को या उसके बाद थी, यद्यपि बि.प्र.क. अधिनियम के अंतर्गत निबंधित किये गये किन्तु करदेयता बाद की तिथियों यथा निबंधन की तिथि से निर्धारित की गयी। विभाग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को ससमय लागू करने में विफल होने के फलस्वरुप 1993-94 से 1995-96 के दौरान 81.56 करोड़ रुपये आयात मूल्य का कर निर्धारण छूट गया और परिणामत: 0.10 करोड़ रुपये अर्थदण्ड और 0.20 करोड़ रुपये जुर्माना सहित 4.13 करोड़ रुपये की राशि का प्रवेश कर कम लगाया गया।

(ब) आयात मूल्य का छिपाया जाना

बि.प्र.क. अधिनियम, 1993 के साथ पठित बि.वि. अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक निबंधित व्यवसायी अपने सम्पूर्ण लेन-देन की एक सच्ची और पूर्ण विवरणी दाखिल करेगा, इसमें

[3] *आदित्यपुर*, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, बेगूसराय, *बोकारो, चाईबासा, चिरकुण्डा, चक्रधरपुर*, दानापुर, दरभंगा, *देवघर, दुमका, धनबाद (नागरीय)*, फारबिसगंज, गया, *गोड्डा, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर (नागरीय)*, झंझारपुर, *झरिया*, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, पटना सिटी (पश्चिमी), पटना सिटी (पूर्वी), *पलामू*, पूर्णिया, पटना (पश्चिमी), पटना (उत्तरी), *राँची (पूर्वी), राँची (विशेष), राँची (पश्चिमी)*, सहरसा, सासाराम, *साहेबगंज*, सिवान, समस्तीपुर, *सिंहभूम* और तेघड़ा।

[4] औरंगाबाद, आरा, भागलपुर, बेगूसराय, *बोकारो, चाईबासा, चिरकुण्डा, चक्रधरपुर, देवघर, दुमका, धनबाद (नागरीय)*, दानापुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गया, *गिरिडीह, हजारीबाग*, झंझारपुर, *जमशेदपुर, जमशेदपुर (नागरीय), झरिया*, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, मधुबनी, मोतिहारी, पटना सिटी (पश्चिमी), पटना सिटी (पूर्वी), पूर्णिया, *पलामू*, पटना (पश्चिमी), *राँची (पूर्वी), राँची (विशेष), राँची (पश्चिमी)*, सहरसा, सासाराम, *साहेबगंज*, सिवान, समस्तीपुर, *सिंहभूम* और तेघड़ा।

[5] *गिरिडीह, हजारीबाग*, पटना (उत्तरी) और सासाराम।

असफल होने पर विहित प्राधिकारी, कर निर्धारण आदेश की तिथि से आठ वर्षों के भीतर, विहित दरों पर अर्थदण्ड और जुर्माना के अतिरिक्त ऐसी बिक्री राशि पर व्यवसायी से प्राप्य कर की राशि का निर्धारण कर सकता है।

(i) बिहार के 5 वाणिज्यकर अंचलों[6] के 6 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों एवं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और बिहार के अन्य स्थानीय क्षेत्रों के विनिर्माताओं के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से 1993-94 से 1998-99 (1996-97 से 1999-2000 में कर निर्धारित) की अवधि के दौरान 2.13 करोड़ रुपये राशि के आयातित सामानों का कम लेखापित किया जाना उद्घटित हुआ। इसके फलस्वरुप 0.21 करोड़ के अर्थदण्ड सहित 0.28 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण हुआ।

इसे बताये जाने पर (जून 2000) विभाग ने कहा (जून 2000) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

(ii) झरिया अंचल में, 1993-94 और 1995-96 की अवधि के मध्य के लिए आठ अनिबंधित व्यवसायियों का अधिनियम के अंतर्गत अन्य स्थानीय क्षेत्रों के जर्दा के एक विनिर्माता द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कर निर्धारण 2 जुलाई 1999 को हुआ परंतु उन्हें निबंधित नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने उक्त अवधि में अपने व्यवसाय के बन्द किये जाने से सम्बन्धित हलफनामा दाखिल किया था। राज्य के अंदर और बाहर के जर्दा के विनिर्माताओं से प्राप्त सूचनाओं की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि ये व्यवसायी अभी भी व्यवसाय करते थे और इन्होंने 1996-97 से 1998-99 की अवधि में 1.24 करोड़ रुपये मूल्य के सामानों का आयात किया था। अपवंचन का पता लगाने में विभाग की विफलता के फलस्वरुप 0.11 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड और 0.05 करोड़ रुपये के जुर्माना सहित 0.20 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(स) अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

बि.प्र.क. अधिनियम के साथ पठित बि.वि. अधिनियम, 1981 के अंतर्गत यदि कोई निबंधित व्यवसायी विहित प्रतिवेदन/विवरणी के अनुसार देय कर के भुगतान करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी निश्चित तिथि के बाद पहली तिमाही के प्रत्येक महीने या उसकी आंशिक अवधि के लिए कर की राशि का कम से कम ढाई प्रतिशत, किंतु पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं एवं प्रत्येक अनुवर्ती महीने या उसकी आंशिक अवधि के लिए कम से कम पाँच प्रतिशत, किंतु दस प्रतिशत से अधिक नहीं, का अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

6 वाणिज्यकर अंचलों में, 8 व्यवसायियों ने (जून 1997 और मई 2000 के मध्य कर निर्धारित) 7.84 करोड़ रुपये का स्वीकृत कर निर्धारित तिथियों तक जमा नही किया। विलम्ब की अवधि 1 महीना 25 दिन और 36 महीने 15 दिन के मध्य थी और इस प्रकार, व्यवसायियों को 4.47 करोड़ रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भुगतान करना था जैसा कि ब्यौरा नीचे है-

[6] गया, *जमशेदपुर (नागरीय), राँची (पश्चिमी) , राँची (पूर्वी)* और सासाराम।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	अंचलों का नाम	सन्निहित मामलों की संख्या	अवधि	विवरणी के अनुसार देय कर	विलम्ब की अवधि	आरोप्य अर्थदण्ड
1.	*आदित्यपुर*	1[7]	1996-97 और 1997-98	264.26	21 महीने 15 दिन से 33 महीने 15 दिन	346.25
2.	*झरिया*	3	1996-97	33.63	17 महीने 24 दिन से 25 महीने 7 दिन	30.50
3.	बेगूसराय	1	1996-97	434.63	1 महीना 25 दिन	19.92
4.	दरभंगा	1	1996-97 से 1998-99	15.83	12 महीने 15 दिन से 36 महीने 15 दिन	19.09
5.	*जमशेदपुर (नागरीय)*	1	1996-97	18.08	18 महीने 28 दिन	15.76
6.	सासाराम	1	1996-97	18.03	14 महीने 15 दिन से 23 महीने 15 दिन	15.40
	कुल	**8**		**784.46**		**446.92**

इसे बताये जाने पर (जून 2000), विभाग ने कहा (जून 2000) कि मामले की समीक्षा की जायेगी और बेगूसराय के व्यवसायी के बारे में कहा कि उसने समय से स्वीकृत कर का भुगतान किया है इसलिए अर्थदण्ड आरोप्य नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना 1996-97 की अवधि के लिए बताया गया था जिसमें स्वीकृत कर का भुगतान निर्धारित तिथि के बाद किया गया है। अन्य मामलों से संबंधित उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

2.03 पट्टों नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना

बिहार सरकार भू-सम्पत्ति (खास महाल) नियमावली, 1953 और उसके अंतर्गत पट्टा स्वीकृत करने के लिए बने नियमों के अनुसार राज्य सरकार पट्टा की समाप्ति के छः माह पूर्व पट्टाधारियों को ऐसे पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए सूचनायें निर्गत करेगी जबकि, पट्टाधारी के लिए आवश्यक है कि वह पट्टा समाप्त होने के तीन माह पूर्व ही नवीकरण हेतु आवेदन करे। यदि पट्टाधारी बिना लगान का भुगतान किये और पट्टा का नवीकरण कराये पट्टावाली सम्पत्ति को रखता है तो उसे अतिक्रामक प्रवेशक माना जायेगा और पिछले बंधों एवं शर्तों पर नवीकरण का कोई दावा नहीं होगा।

नये पट्टों पर सलामी[8] भूमि के वर्त्तमान बाजार मूल्य पर आरोप्य है। इसके अतिरिक्त, आवासीय पट्टों का वार्षिक लगान ऐसी 'सलामी' के एक के पचासवें भाग की दर से देय है। बकाये के मामले में, मूल पट्टे में विहित लगान की दर पर वार्षिक लगान का भुगतान नहीं करने की तिथि से बकाये का दुगुना लगान और उसपर ब्याज भी वसूलनीय है।

[7] *मेसर्स पेबको मोटर्स लि., आदित्यपुर*

[8] सलामी : जमीन के बढे हुए मूल्य में सरकार का अंश है।

उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1996-97 के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सरकारी भूमि के पट्टों का नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व की हानि का उल्लेख किया गया है।

तथापि, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अप्रैल 1999 में निर्गत परिपत्र के अनुसार पट्टाधारी नये दस्तावेजों में प्रस्तावित लगान और पट्टाधारियों द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान के अंतर के बकाया लगानों पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित पूर्व पट्टा की समाप्ति की तिथि से नये पट्टे में प्रस्तावित दर पर बकाये का दुगुना दाण्डिक लगान के रुप में भुगतान करेगा।

सदर अंचल, राँची में शहर की 204.379 एकड़ 'खास महाल' भूमि से संबंधित 1381 पट्टे 1943-44 और 1996-97 के मध्य समाप्त हो गये। इन मामलों में न तो विभाग ने पट्टाधारियों को सूचनायें निर्गत की और न ही पट्टाधारियों ने पट्टे समाप्ति के पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन दिया। पट्टाधारियों द्वारा वार्षिक लगान का भुगतान भी नहीं किया जा रहा था। चूँकि पट्टों का नवीकरण अभी तक नहीं हुआ है और नवीकरण, अगर कोई, बाद में हो भी तो इन पट्टों के नवीकरण की तिथि को लागू दरों से वसूली की जायेगी। इन मामलों में 2000-01 में लागू दरों पर संगणित वसूलनीय राशि 367.65 करोड़ (सलामी 123.12 करोड़ रुपये, दाण्डिक लगान 131.34 करोड़ रुपये और ब्याज 113.20 करोड़ रुपये) होती है।

इसे बताये जाने पर (मई 2001), अपर समाहर्त्ता, राँची ने कहा (मई 2001) कि खास महाल भूमि का भौतिक सर्वेक्षण होने जा रहा है और सर्वेक्षण के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

2.04 प्रेषित मामलों में अंतरीय मुद्रांक शुल्क का संग्रहण नहीं होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम,1899 की धारा 47-अ (1) के अंतर्गत, निबंधन पदाधिकारी को किसी हस्तांतरण, विनिमय, उपहार, बँटवारा या बंदोबस्त से संबंधित दस्तावेज का निबंधन करते समय यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि सम्पत्ति का बाजार मूल्य, जो ऐसे दस्तावेज की विषयवस्तु है, दस्तावेज में सही रुप में प्रदर्शित नहीं किया गया है तो वह उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य और उसपर देय उचित शुल्क के निर्धारण हेतु समाहर्त्ता को भेज सकता है।

6 जिलों में 1995-96 तक और 1996-97 से 1999-2000 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित (दिसम्बर 1999 और मई 2001 के मध्य) हुआ कि विभिन्न निबंधन प्राधिकारियों (जिला उप-निबंधकों/उप-निबंधकों) द्वारा कुल 6362 मामले संबंधित समाहर्त्ताओं को उन प्रलेखों में दर्शायी गयी सम्पत्ति/जमीन के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु प्रेषित किया गया और समाहर्त्ताओं द्वारा तदनुसार आरोप्य अंतरीय मुद्रांक शुल्क की संगणना की गयी। 6362 मामलों में आरोप्य अंतरीय मुद्रांक शुल्क की संगणना 5.60 करोड़ रुपये की गयी। जिसमें 2567 मामलों में अंतर्ग्रस्त 1.74 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गयी थी (1997-98 से 2000-01) और 3795 मामलों में अंतर्ग्रस्त 3.87 करोड़ रुपये की राशि अभी भी बाकी थी, जैसा कि ब्यौरा नीचे है:-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	उ.स. (मुद्रांक) के कार्यालय का नाम	कुल		संग्रहण		अंतरीय मुद्रांक शुल्क का संग्रहण नहीं होना	
		मामलों की संख्या	अंतरीय मुद्रांक शुल्क सन्निहित	मामलों की संख्या	अंतरीय मुद्रांक शुल्क संग्रहित	मामलों की संख्या	राशि
1	बेगूसराय	3894	250.73	1390	48.24	2504	202.49
2	औरंगाबाद	154	20.86	50	1.54	104	19.32
3	*राँची*	231	13.07	59	5.18	172	7.89
4	पटना	715	95.52	180	12.15	535	83.37
5	*हजारीबाग*	796	132.08	671	96.20	125	35.88
6	आरा (भोजपुर)	572	47.83	217	10.25	355	37.58
	कुल	**6362**	**560.09**	**2567**	**173.56**	**3795**	**386.53**

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 1999 और मई 2001 के मध्य) उप समाहर्त्ता (मुद्रांक) ने कहा (दिसम्बर 1999 और मई 2001 के मध्य) कि विभिन्न कारणों यथा निष्पादकों के गलत/परिवर्तित पता और प्रलेख धारकों की अप्राप्यता के कारण अंतरीय मुद्रांक शुल्क के उद्ग्रहण की सूचनायें तामिल नहीं की जा सकी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बकाये के उद्ग्रहण हेतु भू-राजस्व के बकाये की तरह कार्रवाई प्रारम्भ की जानी चाहिये थी।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

अध्याय 3 : बिक्री, व्यापार आदि पर कर

3.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न वाणिज्यकर अंचलों में बिक्री कर निर्धारण एवं वापसी संबंधी अभिलेखों की लेखा परीक्षा में नमूना जाँच से 488 मामलों में 133.93 करोड़ रुपये की राशि के अवनिर्धारण का पता चला, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर से छूट की गलत अनुमति	225	10.12
2.	अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	34	3.56
3.	कर की रियायती दर की गलत अनुमति	3	0.13
4.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं/कम लगाया जाना	59	15.39
5.	गलत दरों से कर का लगाया जाना	40	0.73
6.	बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कर का कम लगाया जाना	59	5.33
7.	कर के अधिक संग्रहण के लिए अर्थदंड का नहीं लगाया जाना/संगणना में भूल	19	3.65
8.	अन्य अनियमिततायें	49	95.02
	कुल	**488**	**133.93**

वर्ष 2000-2001 के दौरान संबंधित विभाग ने 21 मामलों में अंतर्ग्रस्त 0.34 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें से 0.10 करोड़ रुपये के अंतर्ग्रस्त 6 मामले वर्ष 2000-2001 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो की लेखापरीक्षा में बताये गये थे। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले एवं "घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों के विरुद्ध बिक्री कर में छूट एवं रियायत" पर एक समीक्षा जिसमें 119.95 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

3.02 घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों के विरूद्ध बिक्री कर में छूट एवं रियायत

3.02.01 प्रस्तावना

केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 से साथ पठित बिहार वित्त (बि.वि.) अधिनियम, 1981 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों (झारखंड राज्य में भी लागू) के अंतर्गत निबंधित व्यवसायी बिना कर का भुगतान किये या कर के रियायती दर पर माल खरीदने के लिए अधिकृत हैं, अगर मालों की वैसी खरीद पुनर्बिक्री के लिए अथवा खनन में उपयोग के लिए, बिक्री के लिए वस्तुओं के विनिर्माण एवं विनिर्माण प्रक्रिया के लिए हो, बशर्ते क्रेता व्यवसायी विहित प्रपत्र में घोषणा प्रपत्र विक्रेता व्यवसायी को देता है। पुन: राज्य में बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर का भुगतान कर पुनर्बिक्री के लिये खरीदे गये मालों पर विक्रेता व्यवसायी द्वारा निर्गत घोषणा प्रपत्रों के आधार पर बिक्री के अनुवर्ती क्रम में भी कर से छूट है। अगर क्रेता व्यवसायी निर्दिष्ट उद्येश्यों के अलावे मालों का उपयोग करता है तो क्रेता व्यवसायी पूर्ण दर/अंतरीय दर पर, जैसा भी मामला हो, कर का देनदार होगा।

3.02.02 संगठनात्मक ढाँचा

वाणिज्यकर विभाग में घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण, प्राप्ति तथा बिहार राज्य (अब बिहार राज्य एवं झारखंड राज्य) के अंचलों में वितरित करने सहित अधिनियमों एवं नियमों के परिपालन के लिए शीर्ष स्तर पर वाणिज्यकर आयुक्त उत्तरदायी हैं। उन्हें वरीय संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त तथा सहायक वाणिज्यकर आयुक्त तथा मुख्यालय में (सचिवालय स्तर पर) संयुक्त वाणिज्यकर आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्यकर उपायुक्त, निगरानी एवं अनुश्रवण का सहयोग प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती बिहार राज्य ।। वाणिज्यकर प्रमंडलों में विभाजित था और प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त होते थे। पुनश्च, ये प्रमंडल 75 अंचलों में विभाजित हैं जिनमें प्रत्येक के प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त होते हैं, जिन्हें वाणिज्यकर सहायक आयुक्त तथा वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है।

3.02.03 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

बि.वि. अधिनियम, 1981 एवं के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अधीन विहित विभिन्न घोषणा प्रपत्रों[1] के विरुद्ध छूट एवं रियायत की प्रणाली की प्रभावकारिता के मूल्यांकन हेतु दिसंबर 2000 एवं मई 2001 के मध्य एक समीक्षा की गई। 11 अंचलों[2] के 50 विनिर्माता/व्यापारिक व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों से संग्रहित सूचनाओं/आँकड़ों की 30 अंचलों[3] के 845 विनिर्माताओं/विक्रेताओं/क्रेता-व्यवसायियों के 1992-93 से 1999-2000 (कर निर्धारण सितम्बर 1993 एवं मार्च 2001 के मध्य) से संबंधित अभिलेखों से तिर्यक जाँच की गई। विगत वर्षों में अन्य कार्यालयों की नियमित लेखापरीक्षा में पाये गये बिन्दुओं को भी समीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

[1] प्रपत्र 'IX':- विनिर्माण इकाई द्वारा कच्चे मालों की रियायती दर पर खरीद के लिए उस व्यवसायी को प्रस्तुत करेगा जिससे वह मालों की खरीद करता है।

प्रपत्र 'IX सी' :-मालों की खरीद के समर्थन में जिसपर राज्य में बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर चुका दिया गया हो।

प्रपत्र (ग) और (घ) :- उद्योगों के स्वामियों द्वारा कच्चे माल की करमुक्त बिक्री/खरीद के लिए उपयोग किया जानेवाला घोषणा प्रपत्र।

[2] *बोकारो, चाईबासा,* केन्द्रीय अंचल, कोलकाता, *देवघर, धनबाद, धनबाद (नागरीय), हजारीबाग,* पटना (विशेष), पाटलिपुत्र, *पलामू और सिंहभूम।*

[3] *आदित्यपुर, बोकारो,* भभुआ, भागलपुर, *चक्रधरपुर,* केन्द्रीय अंचल, कोलकाता, *चाईबासा, चिरकुण्डा, देवघर, धनबाद, धनबाद (नागरीय),* फारबिसगंज, *गिरिडीह, हजारीबाग, झरिया, जमशेदपुर, जमशेदपुर (नागरीय), कतरास, कोडरमा,* मुँगेर, पाटलिपुत्र, *पलामू,* पटना (उत्तरी), पूर्णिया, *राँची (दक्षिणी), राँची (पश्चिमी), राँची (विशेष), सिंहभूम, सिंदरी और तेनुघाट।*

3.02.04 विशिष्टतायें

1. 12 वाणिज्यकर अंचलों में 50 विनिर्माता व्यवसायियों द्वारा मालों की प्राप्ति को छिपाये जाने के फलस्वरुप 58.84 करोड़ रुपये मूल्य के मालों को लेखापित नहीं/कम किया गया और 11.93 करोड़ रुपये के कर का अपवंचन हुआ।
[कंडिका 3.02.05(i) एवं (ii)]

2. 9 वाणिज्यकर अंचलों के 10 व्यवसायियों द्वारा 22.97 करोड़ रुपये मूल्य के कर प्रदत्त मालों को लेखापित नहीं किये जाने के फलस्वरुप 0.94 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।
[कंडिका 3.02.05(iii)(क)]

3. 7 वाणिज्यकर अंचलों के 7 व्यवसायियों के अभिलेखों से एक व्यवसायी द्वारा की गयी बिक्री की तिर्यक जाँच से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की बिक्री का छिपाव उद्घटित हुआ और 5.71 करोड़ रुपये राशि के कर कर अपवंचन हुआ।
[कंडिका 3.02.05(iii)(ख)]

4. 6 अंचलों के 10 मामलों में 417.91 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं के स्थानांतरण/बिक्री पर, जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं थे, 32.37 करोड़ रुपये की राशि का कर कम आरोपित किया गया।
[कंडिका 3.02.06(i)एवं (ii)]

5. 14 अंचलों के 32 मामलों में 40.02 करोड़ रुपये की बिक्री राशि पर अमान्य/अप्रचलित प्रपत्रों के विरुद्ध छूट की गलत स्वीकृति के फलस्वरुप 3.40 करोड़ रुपये की राशि का कर कम आरोपित किया गया।
[कंडिका 3.02.08 (क) एवं (ख) (i)(ii)]

6. एक अंचल में, एक अनिबंधित व्यवसायी द्वारा 3.79 करोड़ रुपये राशि का कर अनाधिकृत रूप से संग्रहित किया गया जिसके लिए वह 7.58 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का देनदार था, किन्तु आरोपित नहीं किया गया।
[कंडिका 3.02.10 (क)]

3.02.05 बिक्री राशि का छिपाया जाना

बि.वि. अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी की कोई बिक्री राशि कर निर्धारण मे छूट गयी है, तो वह, कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण की तिथि से आठ वर्षों के भीतर ऐसी बिक्री राशि से संबंधित व्यवसायी से प्राप्य कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है। व्यवसायी छिपायी गयी बिक्री राशि पर अधिकतम, निर्धारित कर की राशि की तिगुनी राशि तक, किन्तु न्यूनतम, निर्धारित कर की समतुल्य राशि अर्थदण्ड के रुप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(i) 12 वाणिज्यकर अंचलों[4] के 26 विनिर्माता व्यवसायियों द्वारा 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि के लिए (कर निर्धारण जून 1995 और अगस्त 2000 के मध्य) कर की रियायती दर पर की गयी खरीद के विरुद्ध, जैसा कि उनके द्वारा प्रपत्र IX के उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रस्तुत (बिक्री कर प्राधिकारियों को) किया गया था , उनके द्वारा विक्रेता व्यवसायियों को निर्गत प्रपत्रों के साथ तिर्यक जाँच से 21.21 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का लेखापित नहीं/कम किया जाना उद्घटित हुआ। इसके फलस्वरुप 4.31 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड सहित 5.89 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित किया गया। इनमें से सिर्फ एक व्यवसायी[5] के मामले में 1.85 करोड़ रुपया है।

(ii) 4 वाणिज्यकर अंचलों[6] के 24 विनिर्माता व्यवसायियों द्वारा 1992-93 से 1997-98 तक की अवधि के लिए (कर निर्धारण सितम्बर 1993 और फरवरी 2001 के मध्य) कर विमुक्त खरीद के ब्यौरे की, जैसा कि उनके द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रपत्र 'ग' के उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया था, वैसी खरीद के विरुद्ध उनके द्वारा विक्रेता व्यवसायियों को निर्गत प्रमाण पत्रों के साथ तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि 3 व्यवसायी प्रपत्र 'ग' पर माल (6.91 करोड़ रुपये) खरीदने के लिये प्राधिकृत नहीं थे, 2 व्यवसायियों ने खरीद (10.65 करोड़ रुपये) को लेखापित नहीं किया था और 19 व्यवसायियों ने मालों की खरीद (20.07 करोड़ रुपये) को कम लेखापित किया था। इसके फलस्वरुप 4.54 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड सहित 6.04 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

(iii) *सिंहभूम* अंचल के एक व्यवसायी[7] द्वारा की गयी बिक्री के ब्यौरे की 9 वाणिज्यकर अंचलों[8] के 10 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों से तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायियों ने 1997-98 एवं 1998-99 (कर निर्धारण अक्टूबर 1998 और जून 2001) की अवधि में 22.97 करोड़ रुपये मूल्य की खरीदी गयी वस्तुओं को लेखापित नहीं किया। इसके फलस्वरुप 68.91 लाख रुपये के अर्थदण्ड सहित 94.18 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं किया गया।

(ख) उपर्युक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 'IX सी' के उपयोगिता प्रमाण पत्र की जाँच 7 अंचलों[9] के 7 व्यवसायियों के अभिलेखों से करने पर उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान 17.02 करोड़ रुपये की राशि के साबुन एवं डिटरजेंट की वास्तविक बिक्री के विरुद्ध 445.78 लाख रुपये का 9 घोषणा प्रपत्र 'IX सी' निर्गत किया था। इस प्रकार व्यवसायी ने 12.56 करोड़ रुपये की बिक्री को छिपाया। इसके फलस्वरुप 418.16 लाख रुपये के अर्थदण्ड सहित 571.49 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

3.02.06 केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत अवनिर्धारण

(i) के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, कोई व्यवसायी जो अपने अभिकर्त्ता, प्रधान या दूसरे राज्य के अपने किसी व्यवसायिक केन्द्र को किये गये मालों के शाखा स्थानांतरण पर कर से छूट का दावा करता है तो प्राप्तकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रपत्र 'एफ' में वस्तुओं के वैसे स्थानांतरण का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर छूट का दावा अमान्य होगा एवं घोषित वस्तुओं के मामले में विहित दर की दुगुनी दर से और घोषित वस्तुओं को

[4] भागलपुर, *बोकारो, चिरकुन्डा, देवघर, धनबाद, धनबाद (नागरीय), गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, कतरास,* मुंगेर एवं *तेनुघाट।*

[5] *मेसर्स बी.सी.सी.एल. एरिया ।।, महुदा, कतरास*

[6] *धनबाद, हजारीबाग, तेनुघाट एवं बोकारो।*

[7] *मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि., करणडीह।*

[8] *बोकारो, चाईबासा, गिरिडीह, झरिया, धनबाद (नागरीय), पलामू,* पाटलिपुत्र, *रॉची (विशेष), एवं तेनुघाट।*

[9] *चिरकुन्डा,* मुंगेर, *सिंदरी,सिंहभूम, पलामू, रॉची (विशेष) एवं झरिया।*

छोड़कर अन्य वस्तुओं के मामले में 10 प्रतिशत या राज्य में लागू दर, जो अधिक हो, से कर आरोप्य है।

3 वाणिज्यकर अंचलों (*जमशेदपुर, जमशेदपुर (नागरीय)* और पाटलिपुत्र) में 7 व्यवसायियों को वर्ष 1993-94 और 1998-99 के मध्य (कर निर्धारण मार्च 1998 और फरवरी 2000 के मध्य) 382.85 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं (स्टील वायर, टीनप्लेट, सेफ्टी रेजर और रेफ्रीजरेटर) के स्थानांतरण पर बिना घोषणा प्रपत्रों/वैध घोषणा प्रपत्रों को प्रस्तुत किये, कर की अदायगी से छूट दी गयी। इसके फलस्वरुप 30.89 करोड़ रुपये की राशि का कर कम/नहीं आरोपित किया गया। इसमें से 2 व्यवसायियों[10] के मामले में, प्रत्येक में एक करोड़ रुपये से अधिक का कर प्रभाव, कुल कर प्रभाव 30.29 करोड़ रुपये निहित था।

(ii) के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वस्तुओं की अंतर्राज्य बिक्री पर, जो विहित घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों 'सी' या 'डी' से समर्थित नहीं है, घोषित वस्तुओं के मामले में 8 प्रतिशत की दर से और अन्य वस्तुओं के मामले में 10 प्रतिशत या राज्य में लागू बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आरोप्य दर, जो अधिक हो, पर कर आरोप्य है।

3 अंचलों (*राँची पश्चिमी, झरिया और तेनुघाट)* में 3 व्यवसायियों द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 (कर निर्धारण अक्टूबर 1998 एवं जनवरी 1999 के मध्य) के दौरान 35.06 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं (फायर ब्रिक्स, स्टील एवं कोयला) की बिक्री, जो विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं थी, पर कम दर से कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरुप 147.84 लाख रुपये राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसमें से सिर्फ एक व्यवसायी[11] के मामले में 1.32 करोड़ रुपया है।

(iii) के.बि.क. अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं के संचलन के क्रम में तदन्तर बिक्री पर कर से छूट है बशर्ते, व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण के समय वैसी छूट के लिये अपने दावे के समर्थन में विहित घोषणा प्रपत्र 'सी' और 'ई' प्रस्तुत किया जाय। वैसी छूट की स्वीकृति के लिए, वस्तुओं का क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाण पत्र में उल्लेख होना आवश्यक है।

5 अंचलों[12] के 6 व्यवसायियों के मामले में, वर्ष 1994-95 से 1996-97 (कर निर्धारण नवम्बर 1998 और फरवरी 1999 के मध्य) के दौरान 3 व्यवसायियों द्वारा 83.43 लाख रुपये मूल्य के बिजली के उपकरण और मशीन एवं औजारों की बिक्री पर, जो विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं थे तथा दो अंचलों (पटना उत्तरी एवं राँची विशेष) में 3 व्यवसायियों द्वारा वर्ष 1995-96 से 1996-97 के दौरान (कर निर्धारण मई 1998 एवं जनवरी 2000 के मध्य) 702.77 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं (कागज) की खरीद पर, जबकि 'कागज' का उल्लेख उनके निबंधन प्रमाण पत्र में नहीं था, छूट प्रदान की गयी। 786.20 लाख रुपये की कटौती की गलत स्वीकृति के फलस्वरुप 101.61 लाख रुपये की राशि का कर कम आरोपित हुआ।

[10] *1. मेसर्स दी टीनप्लेट कम्पनी ऑफ इन्डिया लि., जमशेदपुर 2. मेसर्स दी टाटा आयरन एवं स्टील कं. लि., जमशेदपुर ।*

[11] *मेसर्स स्वांग वाशरी, स्वांग, तेनुघाट।*

[12] केन्द्रीय अंचल, कोलकाता, *जमशेदपुर*, पटना (उत्तरी), *राँची (दक्षिणी) एवं राँची (विशेष)*।

3.02.07 कर की रियायती दर की गलत अनुमति

बि.वि. अधिनियम, 1981 के अंतर्गत, निबंधित व्यवसायियों को बिक्री के लिये सामानों के विनिर्माण या विनिर्माण प्रक्रिया या खनन में सीधे प्रयोग के लिए विहित घोषणा प्रपत्रों के प्रस्तुत करने पर कर की रियायती दर पर सामानों को खरीदने की स्वीकृति दी जाती है। न्याय-निर्णय[13] के अनुसार, वैसे माल जो अन्य मालों के विनिर्माण की प्रक्रिया में सीधे उपभुक्त/प्रयुक्त नहीं होते हैं, कच्चा माल नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार ने 26 दिसम्बर 1977 एवं 28 जनवरी 1985 में निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा एल.डी.ओ. (लाईट डीजल तेल) और कार्ड बोर्ड तथा कार्टून आदि सहित कागज (सभी प्रकार के) को रियायती दर की परिधि से अलग कर दिया। पुन: फरवरी 1990 में निर्गत अधिसूचना द्वारा, संवेदकों को कर की रियायती दर पर खरीद/बिक्री करने की परिधि से बाहर कर दिया गया है।

(i) 6 अंचलों[14] के 14 व्यवसायियों द्वारा, जो कोयला, तांबा, यूरेनियम का खनन कार्य करते है, प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र 'IX' के उपयोगिता प्रमाण पत्र की जाँच से उद्घटित हुआ कि वर्ष 1993-94 और 1999-2000 के मध्य व्यवसायियों ने 690.48 लाख रुपये मूल्य के चूना, लकड़ी, फायर ब्रिक्स, बॉस, सिमेन्ट और एल.डी.ओ. की खरीद कर की रियायती दर पर की थी, जो मान्य नहीं थी क्योंकि वस्तुयें विनिर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया या खनन में सीधे प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल नहीं थीं और इस प्रकार पूर्ण दर पर कर आरोप्य था। इसके फलस्वरुप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 69.52 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(ii) 4 अंचलों[15] में 5 व्यवसायियों के मामले में, वर्ष 1994-95 से 1996-97 (कर निर्धारण मई एवं दिसम्बर 1998 के मध्य) के दौरान व्यवसायियों द्वारा घोषणा प्रपत्र 'IX' प्रस्तुत करने पर 572.53 लाख की बिक्री राशि पर रियायती दर से कर की स्वीकृति दी गयी। घोषणा प्रपत्रों की जाँच से उद्घटित हुआ कि कागज और रेलवे के पुर्जे की बिक्री पर 3 संवेदकों को कर की रियायती दर की गलत स्वीकृति दी गयी। इसके फलस्वरुप 44.64 लाख रुपये की राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे बताये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी *(आदित्यपुर)* ने कहा कि व्यवसायी किसी भी वस्तु के विनिर्माण के लिए मालों को कर की रियायती दर पर खरीदने का हकदार था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि व्यवसायी एक संवेदक था और इस प्रकार रियायती दर पर खरीदने के योग्य नहीं था।

3.02.08 घोषणा प्रपत्रों पर गलत छूट

बि.वि. अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत सूचना के द्वारा सरकार किन्हीं वस्तुओं, वस्तुओं के प्रकार या वर्ग के संदर्भ में यह निर्दिष्ट कर सकती है कि राज्य में बिक्री कर बिक्री के प्रथम बिन्दु पर आरोपित किया जायेगा। उन वस्तुओं की तदन्तर बिक्री पर कर आरोपित नहीं किया जायेगा, यदि व्यवसायी तदन्तर बिक्री करने पर कर निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष नगदी पुर्जा, विपत्र या बीजक की मूल प्रति प्रस्तुत करता है और विहित तरीके से सही एवं पूर्ण घोषणा प्रपत्र 'IXसी' की मूल प्रति दाखिल करता है। पुन: अपूर्ण, द्वितीय प्रति और पूर्ण ब्यौरा नहीं रहने पर घोषणा प्रपत्र अस्वीकृत किये जाने योग्य है।

[13] बिक्री कर आयुक्त, म.प्र. बनाम रेवा कोल फिल्ड लि. एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय (1999)।

[14] *चिरकुन्डा, धनबाद, झरिया, हजारीबाग, सिंहभूम और तेनुघाट।*

[15] *आदित्यपुर, चक्रधरपुर,* फारबिसगंज और *जमशेदपुर।*

(क) 6 अंचलों[16] में, 9 व्यवसायियों के मामले मे 1992-93 से 1998-99 (कर निर्धारण अक्टूबर 1996 और नवम्बर 2000 के मध्य) की अवधि के दौरान 566.89 लाख रुपये मूल्य की कर प्रदत्त वस्तुओं की बिक्री पर छूट की स्वीकृति दी गयी। घोषणा प्रपत्रों की जाँच से यह उद्घटित हुआ कि एक मामले में घोषणा प्रपत्र में दर्शायी गयी राशि के साथ छेड़छाड़ की गयी थी, दूसरे मामले में वस्तु पर कर बिक्री के अंतिम बिन्दु पर आरोप्य था एवं शेष 7 मामलों में घोषणा प्रपत्रों की द्वितीय प्रति प्रस्तुत की गयी थी या उन्हें ठीक से भरा नहीं गया था। इन घोषणा प्रपत्रों पर छूट की गलत स्वीकृति के फलस्वरुप 44.16 लाख रुपये की राशि का कर कम आरोपित किया गया।

(ख)(i) जनवरी 1998 में निर्गत अधिसूचना (1 फरवरी 1998 से प्रभावी) द्वारा सरकार ने सरकारी मुद्रणालय, गया द्वारा छापे गये घोषणा प्रपत्रों ('IX' और 'IX सी') को अवैध एवं अमान्य घोषित कर दिया।

781 घोषणा प्रपत्रों की जाँच से उद्घटित हुआ कि 11 अंचलों[17] में 21 व्यवसायियों के मामले में (कर निर्धारण अगस्त 1998 और जनवरी 2001 के मध्य) 246 वैसे अवैध घोषणा प्रपत्र 'IX सी', जिसमें 26.77 करोड़ रुपये निहित थे, के विरुद्ध वर्ष 1994-95 और 1997-98 के मध्य की अवधि के दौरान करारोपण से छूट की स्वीकृति दी गयी। इसके फलस्वरुप 253.68 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया। इसमें से सिर्फ एक व्यवसायी[18] के मामले में 1.48 करोड़ रुपये था।

इसे बताये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी *(पलामू)* ने 3 मामलों में पुन: कर निर्धारण किया (मार्च और नवम्बर 2000 के मध्य) और 2.82 लाख रुपये की अतिरिक्त माँग का सृजन किया।

(ii) 95 घोषणा प्रपत्रों की जॉच से उद्घटित हुआ कि 2 अंचलों में (*राँची पश्चिमी और सिंहभूम*) 2 संवेदक व्यवसायियों के मामले में (कर निर्धारण जनवरी 1999 और जनवरी 2000 के मध्य) वर्ष 1994-95 और 1997-98 के दौरान 757.77 लाख रुपये मूल्य के अ-लौह धातु, भारी वाहन एवं पुर्जे की बिक्री पर 39 अवैध घोषणाओं (प्रपत्र 'IX') के आधार पर रियायती दर पर कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरुप 42.34 लाख रुपये की राशि का कर कम आरोपित किया गया।

3.02.09 क्रय कर का नहीं लगाया जाना

बि.वि. अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी, जो कर का देनदार है, वस्तुओं को उन परिस्थितियों में जिनमें उन वस्तुओं की बिक्री राशि पर कोई कर या तो देय न हो या दिया नहीं गया हो, क्रय करता है और बिक्री के लिए अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में उन वस्तुओं की खपत करता है या राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में बिक्री के अलावे अन्य तरह से निपटारा करता है तो उन वस्तुओं के क्रय मूल्य पर उस दर से जिस दर पर उन वस्तुओं के विक्रयमूल्य पर कर आरोपित होता, कर का देनदार होगा ।

देवघर अंचल के एक विनिर्माता व्यवसायी ने वर्ष 1993-94 से 1996-97 (कर निर्धारण मार्च 1998 और मार्च 2001 के मध्य) की अवधि के दौरान उसी अंचल के दूसरे विनिर्माता व्यवसायी से बिना बिक्री कर का भुगतान किये प्रमाण पत्र 'ग' के आधार पर 32.96 करोड़ रुपये मूल्य के शीशे का सामान (कच्चा माल) खरीदा और उस कच्चे माल से निर्मित माल में से 18.92 करोड़ रुपये मूल्य के विनिर्मित मालों को बिक्री के अलावे अन्य प्रकार से स्थानांतरित किया। यद्यपि 997.96 लाख रुपये क्रय मूल्य के

[16] भभुआ, भागलपुर, *देवघर, गिरिडीह, राँची (विशेष) और राँची (पश्चिमी)।*

[17] भागलपुर, *बोकारो, देवघर, झरिया,* पाटलिपुत्र, *पलामू,* पूर्णिया, *राँची (दक्षिणी), राँची (विशेष), सिंहभूम और तेनुघाट।*

[18] मेसर्स जे.पी. स्टेटस प्रा. लि., पटना।

कच्चे माल पर क्रय कर आरोप्य था, तथापि आरोपित नहीं किया गया। इसके फलस्वरुप 99.68 लाख रुपये की राशि का क्रय कर (अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित) आरोपित नहीं किया गया।

3.02.10 अन्य रुचिकर मामले

(क) कर के अनधिकृत संग्रहण पर अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

बि.वि. अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई व्यक्ति, जो निबंधित नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई राशि, चाहे जिस नाम या प्रकार से कहा जाय, वस्तुओं की बिक्री पर कर के रुप में संग्रहित नहीं कर सकता है। अधिनियम के प्रावधान का किसी प्रकार उल्लंघन करने के मामले में विहित प्राधिकारी व्यवसायी को ऐसी संग्रहित कर की राशि के दुगुना के बराबर की राशि अर्थदण्ड के रुप में देने का निर्देश देगा।

हजारीबाग अंचल में एक देशी शराब के विनिर्माता और विक्रेता व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा के क्रम में देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान सकल बिक्री राशि से क्रमश: 419.82 लाख रुपये और 10.01 करोड़ रुपये की कटौती की स्वीकृति इस आधार पर की गयी कि बिक्री राशि पर *धनबाद* जिले में कर लगेगा।
हजारीबाग अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कटौती की जॉच *धनबाद नागरीय अंचल, धनबाद* में व्यवसायी[19] के अभिलेख से करने पर उद्घटित हुआ कि व्यवसायी अंचल में निबंधित नहीं था। अनिबंधित व्यवसायी के रुप में कर निर्धारण करते समय (जनवरी एवं जून 1999) कर निर्धारण प्राधिकारी राज्य के विभिन्न क्रेताओं से 379.04 लाख रुपये की राशि के कर का अनधिकृत संग्रहण के लिये अर्थदण्ड लगाने में विफल रहे। इस चूक के फलस्वरुप 758.07 लाख रुपये की राशि का अर्थदण्ड आरोपित नही किया गया।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2001), वाणिज्यकर उपायुक्त ने कहा (अगस्त 2001) कि व्यवसायी *हजारीबाग* अंचल में निबंधित है, इसलिए अर्थदण्ड आरोप्य नहीं था। बिहार वित्त अधिनियम, 1981 में निहित प्रावधानों के आलोक में उत्तर तर्कसंगत नहीं है। व्यवसायी ने *धनबाद* में अपना व्यापार किया था, जिसके लिए उसे *धनबाद* अंचल में भी अलग से निबंधन कराना था।

(ख) घोषणा प्रपत्रों का गलत उपयोग

सिंहभूम अंचल, जमशेदपुर के एक व्यवसायी ने घोषणा प्रपत्र 'IX सी' के उपयोगिता प्रमाण पत्र द्वारा यह घोषित किया कि वर्ष 1997-98 के दौरान वस्तुओं (साबुन) की बिक्री के विरुद्ध 4.74 लाख रुपये के लिए एक प्रपत्र 'IX सी' पटना के एक व्यवसायी को निर्गत किया था।

घोषणा प्रपत्र 'IX सी' की जॉच से यह पता चला कि उक्त प्रपत्र वास्तव में *पलामू अंचल, डालटेनगंज* के एक व्यवसायी को वर्ष के दौरान 62.16 लाख रुपये की खरीद के विरुद्ध निर्गत किया गया था। इस प्रकार विक्रेता व्यवसायी ने 57.42 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं की बिक्री को कम लेखापित किया। इसके फलस्वरुप 26.13 लाख रुपये की राशि का कर (अतिरिक्त कर, अधिभार और अधिकतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित) कम आरोपित किया गया।

[19] *मेसर्स बी.के. जायसवाल (एच.यू.एफ.), हीरापुर, धनबाद ।*

उपर्युक्त मामलों को कर निर्धारण प्राधिकारियों/विभाग को दिसम्बर 2000 और मई 2001 के मध्य बताये गये। की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून एवं अगस्त 2001; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

3.03 बिक्री राशि का छिपाया जाना

के.बि.क. अधिनियम, 1956 के साथ पठित बि.वि. अधिनियम, 1981 के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत विवरण दिया है और जिसके कारण उसके द्वारा वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल की गयी है, तो उक्त पदाधिकारी को वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना है तथा निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त, छिपायी गयी बिक्री राशि पर, दंडस्वरूप कर का अधिकतम तीन गुना, किंतु कम से कम कर की समतुल्य राशि भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देना है।

3 वाणिज्यकर अंचलों में कर निर्धारण अभिलेखों (दिसम्बर 1998 एवं मार्च 2000 के मध्य कर निर्धारित) एवं घोषणा प्रपत्रों 'IX सी' के उपयोगिता प्रमाणपत्र से यह देखा गया (अगस्त 1999 एवं सितम्बर 2000 के मध्य) कि 3 व्यवसायियों ने 1995-96 एवं 1997-98 के मध्य के वर्षों के दौरान घोषणा प्रपत्रों पर खरीदे/बेचे गये मालों में से 852.75 लाख रुपये की बिक्री राशि को छिपाया जो विभाग द्वारा असंसूचित रहा। खरीद/बिक्री के छिपाव को रोकने में विभाग की विफलता के कारण 94.32 लाख रुपये के कर (अतिरिक्त कर, अधिभार एवं न्यूनतम आरोप्य अर्थदंड सहित) कम आरोपित हुआ जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	अंचल का नाम/ व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि कर निर्धारण का माह / वर्ष	वस्तु	वास्तविक खरीद/बिक्री	छिपायी गयी राशि	कर/ अर्थदंड की राशि	कुल
				लेखापित खरीद/बिक्री	लागू दर (प्रतिशत)		
1	पटना सिटी (पूर्वी) /	1996-97 12/98	चेचिम	4383.11 3852.96	530.15 4+अ.भा.	23.33 21.20	44.53
2	पटना दक्षिणी /	1995-96 12/99	दवाइयाँ	675.11 406.62	268.49 7 +अ.भा.	20.67 18.80	39.47
3	हाजीपुर /	1997-98 3/2000	आइसक्रीम	190.23 136.12	54.11 8+1+अ.भा.	5.41 4.91	10.32
	कुल			**5248.45 4395.70**	**852.75**	**49.41 44.91**	**94.32**

इन्हें बताये जाने पर (अगस्त 1999 एवं सितम्बर 2000 के मध्य), विभाग ने पटना सिटी (पूर्वी) अंचल के मामले में 44.53 लाख रुपये की अतिरिक्त माँग सृजित (जून 2000) की जबकि अन्य मामलों में विभाग ने कहा (सितम्बर 2000) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। उद्ग्रहण का प्रतिवेदन/तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल एवं मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

3.04 करारोपण से छूट की गलत स्वीकृति

3 वाणिज्यकर अंचलों में 3 व्यवसायियों के मामलों में 383.52 करोड़ रुपये मूल्य के सामानों पर छूट की गलत स्वीकृति (जनवरी 1998 तथा मार्च 2000 के मध्य कर निर्धारित) के फलस्वरुप 42.54 करोड़ रुपये का कर नहीं लगाया गया, जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये मे)

क्रमांक	अंचल का नाम व्यवसायी का नाम	कर निर्धारण की अवधि माह/ कर निर्धारण का वर्ष	वस्तु	सामान का मूल्य	आरोप्य कर की दर (प्रतिशत)	कर का नहीं लगना	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन्द्रीय अंचल, कोलकाता सर्वश्री भारतीय तेल निगम लिमिटेड	1993-94 जनवरी 1998	पेट्रोलियम उत्पाद	138.22	9,14 + अ.भा.	20.16	कहा गया कि सामानों का हस्तान्तरण दूसरे व्यवसायियों को किया गया है पर (दूसरे) क्रेता व्यापारियों के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि ऐसे किसी सामान का हस्तांतरण क्रेता व्यापारियों को नहीं किया गया था।
2.	केन्द्रीय अंचल, कोलकाता सर्वश्री भारतीय तेल निगम लिमिटेड	1993-94 जनवरी 1998	पेट्रोलियम उत्पाद	188.61	9+अ.भा.	18.67	नेपाल को निर्यात किये गये सामानों पर छूट की स्वीकृति बिना सीमा प्रमाण पत्र/निर्यात विपत्रों की प्रतियों को प्राप्त किये, दी गयी।
3.	हाजीपुर सर्वश्री सुख मणि भगवती एलवॉयज प्रा.लि.	1997-98 एवं 1998-99 मई 1999 एवं मार्च 2000	लोहा एवं इस्पात	32.67	4	1.31	किसी नयी व्यवसायिक वस्तु के उत्पादन किये बिना छूट की स्वीकृति दी गयी।
4.	केन्द्रीय अंचल, कोलकाता सर्वश्री भारतीय तेल निगम लिमिटेड	1993-94 जनवरी 1998	पेट्रोलियम उत्पाद	22.96	9 + अ.भा.	2.27	प्रपत्र 'एफ' या अन्य किसी साक्ष्य के बिना समानों के भंडार हस्तान्तरण पर छूट की अनुमति दी गयी।
5.	पटना सिटी (पूर्वी) सर्वश्री फूलटास ऑटो लिमिटेड	1996-97 दिसम्बर 1998	मोटर के पुर्जे	1.06	10+1+ अ.भा.	0.13	बिना प्रपत्र 'IX सी' से समर्थित समानों पर छूट की अनुमति दी गयी।
	कुल			**383.52**		**42.54**	

इसे बताये जाने पर (फरवरी 1999 और सितम्बर 2000 के मध्य) विभाग ने केन्द्रीय अंचल, कोलकाता, के मामले में 41.10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त माँग सृजित (नवम्बर 2000) की एवं पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना के मामले में विभाग ने 13 लाख रुपये कर का पुनर्निर्धारण (जून 2000) किया, जबकि हाजीपुर अंचल के मामले में विभाग ने कहा (सितम्बर 2000) कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल एवं मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

3.05 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

के.बि.क. अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत वस्तुओं की अंतर्राज्यीय बिक्री पर (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) जो विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं है, दस प्रतिशत या राज्य में लागू दर, जो अधिक हो, पर कर आरोप्य है। घोषित वस्तुओं की बिक्री के मामले में जो विहित प्रपत्र में घोषणाओं से समर्थित नहीं है, उस वस्तु के संबंधित राज्य में क्रय या विक्रय पर लागू दर का दुगुना कर आरोप्य है। न्याय निर्णय[20] के अनुसार के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी अन्तर्राज्यीय बिक्री पर राज्य अधिनियम के अंतर्गत आरोप्य अतिरिक्त कर एवं अन्य कर भी आरोप्य है।

केन्द्रीय अंचल, कोलकाता में 3 व्यवसायियों द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1994-95 एवं 1996-97 के मध्य की अवधि में 391.02 करोड़ रुपये मूल्य के समानों[21] की बिक्री/हस्तांतरण, जो विहित प्रपत्रों से समर्थित नहीं थी, पर कर या तो आरोपित नहीं किया गया या कम दरों से (दिसम्बर 1998 एवं अगस्त 2000 के मध्य कर निर्धारित) आरोपित किया गया। इसके फलस्वरुप 811.13 लाख रुपये (अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित) के केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण हुआ। इसमें से एक व्यवसायी[22] के मामले में 7.76 करोड़ रुपये था।

इसे बताये जाने पर (मार्च एवं दिसम्बर 2000) विभाग ने दो मामलों में कर निर्धारण को पुनरीक्षित (सितम्बर एवं अक्टूबर 2000) किया तथा 35.41 लाख रुपये का अतिरिक्त माँग पत्र निर्गत (नवम्बर 2000) किया, जबकि तीसरे मामले में विभाग ने कहा (जनवरी 2001) कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

3.06 कर का कम लगाया जाना

के.बि.क. अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के क्रम में वस्तुओं का क्रय या विक्रय तभी माना जायेगा यदि क्रय या विक्रय हेतु (क) वस्तुओं का संचलन एक राज्य से दूसरे में हो या (ख) एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके संचलन के दौरान वस्तुओं के स्वामित्व के प्रलेखों के हस्तांतरण द्वारा समर्थित हो।

गोपालगंज अंचल में एक व्यवसायी[23] ने वर्ष 1993-94 के दौरान 615.06 लाख रुपये के भा.नि.वि.श. का उत्पाद, गोपालगंज के मे. हरवर्टसन लिमिटेड को बेचा एवं इस लेन-देन को अन्तर्राज्यीय बिक्री मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित (मार्च 1998) किया गया। चूँकि यह लेन-देन बिहार के अन्दर ही सम्पन्न हुआ था, 25 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य था। इसके फलस्वरुप 161.45 लाख रुपये (अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित) का कम कर लगाया गया।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 2000), विभाग ने कहा (दिसम्बर 2000) कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2003)।

[20] उपायुक्त बिक्री कर बनाम आयशा होजियरी फैक्ट्री (1992) 85 एस.टी.सी. 196 एस.सी.।

[21] एच.एस.डी. :- हाई स्पीड डीजल आयल, एल.डी.ओ. :- लाईट डीजल आयल, एम.टी.ओ.:- मोटर ट्रांसपोर्ट आयल, एम.एस. :- मोटर स्पिरिट, एस.के.ओ. :- सुपीरियर किरासन आयल, ए.टी.एफ.:- एयर टर्बाइन फुएल।

[22] मेसर्स इंडियन आयल कॉरपोरेशन लि., कोलकाता।

[23] मेसर्स यू.बी. डिस्टिलरिज लि., मीरगंज।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2003)।

3.07 कर की संगणना में भूल

5 अंचलों[24] में 6 व्यवसायियों द्वारा वर्ष 1994-95 एवं 1997-98 (जून 1997 एवं जुलाई 1999 के मध्य कर निर्धारित) की अवधि के दौरान देय कर की संगणना में भूल के फलस्वरुप 29.67 लाख रुपये का कम कर आरोपित किया गया।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 1999 एवं दिसम्बर 2000 के मध्य) पटना विशेष, खगड़िया और कटिहार अंचलों के मामले में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने (दिसम्बर 1999 एवं मई 2001 के मध्य) अतिरिक्त माँग सृजित की। दानापुर अंचल के एक अन्य मामले में विभाग ने कहा (अगस्त 2000) कि सूचना निर्गत की जा चुकी है, जबकि केन्द्रीय अंचल कोलकाता के मामले में संबद्ध प्राधिकारी ने कहा (जनवरी 2001) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर एवं उद्ग्रहण से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये है (मार्च 2003)।
मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1999 एवं मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

3.08 अतिरिक्त कर का नहीं/कम लगाया जाना

बि.वि. अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी को 1 नवम्बर 1981 से उसकी सकल विक्रय राशि पर, यदि विशेष रुप से अतिरिक्त कर की देयता से छूट न दी गयी हो, एक प्रतिशत की दर से (शराब को छोड़कर जिस पर 2 प्रतिशत लागू है) अतिरिक्त कर देना है।

केन्द्रीय अंचल कोलकाता में पेट्रोलियम उत्पादों, चाय, घी आदि के व्यापार में संलग्न 2 व्यवसायियों के मामले में (जुलाई 1999 एवं अक्टूबर 2000 के मध्य कर निर्धारित) वर्ष 1991-92 एवं 1996-97 के दौरान 22.23 करोड़ रुपये के निर्धारित कर पर कुल 24.45 लाख रुपये का अतिरिक्त कर (अधिभार सहित) या तो नहीं लगाया गया या कम लगाया गया।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 2000 एवं जनवरी 2001), विभाग ने कहा (जनवरी 2001) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2003)।

3.09 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम लगाया जाना

बि.वि. अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत वस्तुओं पर अधिनियम के परिशिष्ट में संसूचित दर पर बिक्री कर लगाया जायेगा। वैसी वस्तुओं पर जो परिशिष्ट में निर्दिष्ट नहीं हैं, अनिर्दिष्ट वस्तु की तरह 8 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य है।

2 अंचलों में, वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण, 16.40 लाख रुपये का कर (अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित) कम आरोपित हुआ जैसा कि नीचे की तालिका में दिखाया गया है:-

[24] केन्द्रीय अंचल कोलकाता, दानापुर, कटिहार, खगड़िया एवं पटना (विशेष)।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	अंचल का नाम	कर निर्धारण अवधि / कर निर्धारण माह एवं वर्ष	जैसा वर्गीकृत किया गया	सही वर्गीकरण	विक्रय मूल्य की राशि	कर की दर		कम आरोपित राशि
						आरोप्य (प्रतिशत)	आरोपित (प्रतिशत)	
1.	पाटलिपुत्र	1996-97 / 6/98	लोहा एवं इस्पात	फोर्ज्ड स्टील वॉल (अनिर्दिष्ट)	43.91	8	4	2.63
2.	मुजफ्फरपुर	1997-98 / 12/99	तथैव	गैलभेनाइज्ड सबस्टेशन स्ट्रक्चर, रेल विद्युतीकरण संरचना (अनिर्दिष्ट)	248.41	8	4	13.77
				कुल	**292.32**			**16.40**

इन्हें बताये जाने पर (जनवरी एवं मई 2000 के मध्य) विभाग ने एक मामले (मुजफ्फरपुर) में कहा (मई 2000) कि संबद्ध वस्तुएँ के.बि.क. अधिनियम की धारा 14 की अनुक्रमणिका (IV)(V) के अन्तर्गत आती हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वस्तुएँ के.बि.क. अधिनियम की धारा 14 में परिभाषित "लोहा और इस्पात" की श्रेणी में नहीं आती हैं। अन्य मामलों में विभाग ने कहा (जनवरी 2000) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

3.10 कर निर्धारण काल बाधित होने के कारण राजस्व की हानि

बि.वि. अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के प्रभाव से किसी भी अवधि के लिए व्यवसायी द्वारा देयकर के निर्धारण हेतु उस अवधि की समाप्ति के 4 वर्षो के बाद कोई भी कार्यवाही प्रारम्भ और संपन्न नहीं की जायेगी।

पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना, में एक व्यवसायी द्वारा वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान क्रमश: 100.79 लाख रुपये एवं 371.24 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं की बिक्री की गयी, परन्तु कर निर्धारण नियत समय सीमा के भीतर संपन्न नहीं किया गया, यद्यपि व्यवसायी कर भुगतान के योग्य था। इसके फलस्वरुप 18.90 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

3.11 अधिक कर संग्रहण के लिए अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

बि.वि. अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कोई भी निबंधित व्यवसायी किसी भी व्यक्ति से वस्तुओं की बिक्री पर, उक्त अधिनियम के अधीन कर दायित्व से अधिक कर संग्रहण नहीं करेगा। अधिनियम के प्रावधान का किसी प्रकार उल्लंघन करने पर विहित प्राधिकारी ऐसी संग्रहित कर की राशि के दुगुना के बराबर की राशि, अर्थदण्ड के रुप में, देने के लिए व्यवसायी को निर्देश देगा।

पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना में वर्ष 1998-99 के दौरान भा.नि.वि.श. के व्यवसाय में संलग्न एक व्यवसायी ने कर दायित्व से 2.85 लाख रुपये के अधिक कर का संग्रहण किया। तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण करते समय (नवम्बर 1999) कोई भी अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। इसके फलस्वरुप 5.71 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2000), विभाग ने कहा (अगस्त 2000) कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2002)।

3.12 गलत दरों से कर का लगाया जाना

3 अंचलों में 3 व्यवसायियों के मामले में 40.13 करोड़ रुपये मूल्य के मालों की बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित करने के फलस्वरुप 43.27 लाख रुपये का कर (अतिरिक्त कर और अधिभार सहित) कम लगाया गया, जैसा कि ब्यौरा नीचे है :-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	अंचल	वस्तु	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण का महीना/वर्ष	बिक्री का कुल मूल्य	कर की दर		कम आरोपित कर की राशि
						आरोप्य (प्रतिशत)	आरोपित (प्रतिशत)	
1	केन्द्रीय अंचल, कोलकाता	पेट्रोलियम उत्पाद	1996-97	जुलाई 1999 एवं अक्टूबर 2000	3931.87	9	8	41.57
2	पटना (पश्चिमी)	फोटो कॉपी मशीन	1995-96	दिसम्बर 1998	14.36	14	8	0.96
3	हाजीपुर	एच.डी.पी.ई. बैग्स	1993-94 से 1996-97	मार्च 1998	66.81	3	2	0.74
कुल					**4013.04**			**43.27**

इन्हें बताये जाने पर (दिसम्बर 1999 एवं दिसम्बर 2000 के मध्य) विभाग ने हाजीपुर अंचल के मामले में अतिरिक्त माँग का सृजन किया (अगस्त 2000) एवं अन्य मामलों में विभाग ने कहा (जनवरी 2000 एवं जनवरी 2001) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल एवं मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

अध्याय 4 : राज्य उत्पाद

4.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 1083 मामलों में 27.93 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व अवनिर्धारण एवं हानि का पता चला, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना/विलंब से होना	284	12.07
2.	अनुज्ञा शुल्क का उदग्रहण नहीं होना	73	0.28
3.	अनधिकृत रियायत दिये जाने के कारण अनुचित वित्तीय लाभ देना	10	0.02
4.	अन्य अनियमितताएँ	716	15.56
	कुल	**1083**	**27.93**

वर्ष 2000-01 के दौरान संबंधित विभाग ने 166 मामलों में अंतर्ग्रस्त 57.54 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें से 0.31 लाख रुपये से अतर्ग्रस्त 16 मामले वर्ष 2000-01 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये। दृष्टान्तस्वरुप कुछ मामले, जिनमें 14.48 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अंतर्ग्रस्त है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं:-

4.02 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद (बि.उ.) अधिनियम, 1915 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब, विदेशी शराब तथा मसालेदार देशी शराब के खुदरा निर्गम हेतु उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति समाहर्त्ता द्वारा नीलामी के माध्यम से वार्षिक रूप से बंदोबस्त की जाती है। जब किसी मामले में नियत अपसेट/रक्षित शुल्क प्राप्त न हो तो जिले के समाहर्त्ता स्वविवेक से कम शुल्क स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते आयुक्त द्वारा इसकी अनुमति दे दी जाय। विभाग ने सभी समाहर्त्ताओं/उपायुक्तों को अबंदोबस्त उत्पाद दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने का निर्देश भी निर्गत किया (जून 1995)।

13 उत्पाद जिलों में[1] 77 देशी शराब, 24 भारत निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) तथा 130 मसालेदार देशी शराब की दुकानें 1997-98 से 1999-2000 के वर्षों के दौरान अबंदोबस्त रही। दुकानों को न ही रक्षित शुल्क से कम पर बंदोबस्त करने और न ही विभागीय स्तर पर चलाने का कोई प्रयास किया गया। इसके फलस्वरूप अनुज्ञा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के रूप में 12.72 करोड़ रुपये के उत्पाद राजस्व की हानि हुई।

इन्हें बताए जाने पर (अप्रैल 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य) विभाग ने कहा (अप्रैल 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य) कि डाककर्त्ताओं के अभाव में तथा रक्षित शुल्क अधिक नियत होने के कारण

[1] अररिया सह किशनगंज, बेगूसराय, भोजपुर सह बक्सर, भागलपुर सह बांका, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास सह कैमुर, सहरसा सह सुपौल, सिवान तथा पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

दुकानें बन्दोबस्त नहीं हो सकीं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डाककर्त्ताओं के अभाव में दुकानों को विभाग द्वारा चलाने या रक्षित शुल्क से कम पर उन्हें बंदोबस्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

4.03 देशी शराब की अधिक निकासी पर अतिरिक्त राशि का उद्ग्रहण नहीं होना

बिक्री अधिसूचनाओं (फरवरी 1997 एवं मई 1998 के मध्य) की शर्त्त के साथ पठित बि.उ. अधिनियम, 1915 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को किसी महीने में उस माह के लिए अनुमत्य न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.मा.) के अतिरिक्त 30 प्रतिशत से अधिक मात्रा की शराब के निर्गमन की अनुमति नीलामी वर्ष 1997-98 के लिए नीलामी राशि के अनुपात में और वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 के लिए 15 रुपये प्रति लन्दन प्रूफ लीटर (एल.पी.एल.) की नियत दर से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने पर दी जायेगी।

3 उत्पाद जिलों में[2], 157 खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान विभिन्न महीनों में अनुमोदित न्यू.प्र.मा. के अतिरिक्त 30 प्रतिशत से अधिक 69886.30 एल.पी.एल. देशी शराब के निर्गमन की अनुमति, बिना अतिरिक्त राशि उद्ग्रहित किये, दी गई। जिसके फलस्वरूप 12.04 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इन्हें बताए जाने पर (जून एवं अक्टूबर 2000 के मध्य) विभाग ने आगे कार्रवाई करने की सहमति जतायी (जून एवं अक्टूबर 2000 के मध्य)। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

4.04 प्रशासनिक शुल्क का कम उद्ग्रहण होना

बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विभिन्न चीनी मिलों द्वारा बिहार राज्य के अधीन आसवनगृहों को निर्गत किये गये छोआ पर, जिनमें शर्करा अपचायक 37 प्रतिशत या उससे अधिक हो, 15 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रशासनिक शुल्क लगाने का प्रावधान है।

गोपालगंज उत्पाद जिला में यह देखा गया (नवम्बर 2000) कि वर्ष 1999-2000 के दौरान उत्पाद विभाग के आवंटन के अनुसार 3 आसवनगृहों को 1.60 लाख क्विंटल छोआ, जिनमें शर्करा अपचायक 37 प्रतिशत या उससे अधिक थी, बेचा गया। तथापि वसूली योग्य 24 लाख रुपये राशि के विरुद्ध 2.27 लाख रुपये राशि का प्रशासनिक शुल्क उद्ग्रहित किया गया। इसके फलस्वरुप छोआ के 15 रुपये प्रति क्विंटल की दर से संगणित 21.73 लाख रुपये के प्रशासनिक शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इन्हें बताये जाने पर (नवम्बर 2000), विभाग ने कहा (नवम्बर 2000) कि प्रशासनिक शुल्क का उद्ग्रहण मई 2000 से ही सम्भव था क्योंकि अधिसूचना उसी महीने में प्राप्त हुई थी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (मार्च 2003)।

[2] भोजपुर सह बक्सर, रोहतास सह कैमुर तथा पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

4.05 नीलामवाद प्रक्रियाओं के प्रारंभ नहीं होने के कारण ब्याज की हानि

बि.उ. अधिनियम, 1915 के साथ पठित बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद राजस्व के बकाये की वसूली, नीलामवाद प्रक्रियाओं के प्रारम्भ होने की तिथि से वसूली की तिथि तक, 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय है। नीलामवाद प्रकियाओं के प्रारंभ करने में किसी भी विलम्ब से सरकार को ब्याज का नुकसान होता है क्योंकि बकाया वसूली हेतु नीलामवाद के अंतर्गत विलम्ब से भुगतान पर ब्याज लगाने का प्रावधान उसके हस्ताक्षर की तिथि से ही प्रभावी होता है।

उत्पाद जिला, पटना में लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 1983-84 से 1997-98 के वर्षों में 293.77 लाख रुपये का उत्पाद राजस्व बकाया था। तथापि दोषियों के विरुद्ध लेखापरीक्षा की तिथि तक (अगस्त 2000) नीलामवाद प्रक्रिया प्रारंभ करने की कोई कार्रवाई नही की गयी। इसके फलस्वरुप 293.77 लाख रुपये के उत्पाद राजस्व के अलावा, नीलामवाद प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करने के कारण, 1991-92 से 1999-2000 की अवधि के लिये संगणित, 142.38 लाख रुपये के ब्याज की राशि का नुकसान हुआ। यदि बकाया के वर्ष से संगणना की जाय तो ब्याज की राशि में और बढोत्तरी होगी।

इन्हें बताए जाने पर (अगस्त 2000), विभाग ने कहा (सितम्बर 2000) कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

अध्याय 5 : वाहनों पर कर

5.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान की गयी लेखपरीक्षा में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 812 मामलों में 311.85 करोड़ रुपये की राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदण्ड, जुर्माना आदि के नहीं/कम लगाये जाने का पता चला, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	करों का नहीं/कम लगाया जाना	267	23.83
2.	बैठान क्षमता (पं.ल.भा.) के गलत निर्धारण के कारण करों के गलत निर्धारण से करों का कम लगाया जाना	18	0.06
3.	शुल्क और जुर्माना का आरोपित नहीं होना	84	0.03
4.	अन्य अनियमिततायें	443	287.93
	कुल	**812**	**311.85**

वर्ष 2000-2001 के दौरान संबंधित विभाग ने 644 मामलों में अंतर्ग्रस्त 987.87 लाख रुपये का अवनिर्धारण इत्यादि स्वीकार किया, जिसमें 605.13 लाख रुपये से अंतर्गस्त 557 मामले 2000-01 में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये।दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले और " वाहनों पर कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण" पर की गयी समीक्षा जिनमें 238.23 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त थे, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

5.02 वाहनों पर कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण

5.02.01 प्रस्तावना

बिहार मोटर वाहन कराधान (बि.मो.वा.क.) अधिनियम, 1994 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार वाहनों पर कर विनियमित होते है। अधिनियम के अंतर्गत आरोपित कर में पथ कर, अतिरिक्त मोटर वाहन कर एवं अन्तरीय कर (वाहनों के प्रकार बदलने के मामले में) अन्तर्विष्ट है। प्रत्येक पंजीकृत वाहन मालिक अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। तथापि वाहन मालिक को कर भुगतान नहीं करना है यदि वह विहित ढंग से निर्दिष्ट अवधि के लिए कर में छूट प्राप्त कर लेता है। राज्य परिवहन आयुक्त (एस0 टी0 सी0) द्वारा निर्गत अनुदेशों (जून 1988 एवं नवम्बर 1990) के अनुसार कर के बकायेदारों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत किया जाना है एवं जहाँ आवश्यक हो तो बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए, नीलामवाद दायर किया जाना है।

5.02.02 संगठनात्मक ढाँचा

रा.प.आ. मोटर वाहन (परिवहन) विभाग के प्रधान होते हैं और नीति संबंधी सभी मामलों और अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन पर कार्रवाई करते हैं। अपने कर्तव्य के पालन में उन्हें मुख्यालाय में 3 संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों, 13 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों (क्षे.प.प्रा.) के सचिवों, जिला स्तर पर 55 जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि.प.प.), मोटर वाहन निरीक्षकों (मो.वा.नि.), प्रवर्त्तन पदाधिकारियों, निरीक्षकों एवं उप निरीक्षकों को मिलाकर गठित प्रवर्त्तन शाखा (प्र.शा.) और 3 जाँच चौकियों से सहयोग प्राप्त होता है।

5.02.03 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुसार परिवहन विभाग में कर/शुल्क के आरोपण/संग्रहण की कुशलता सुनिश्चित करने के उद्येश्य से अक्टूबर 2000 से मई 2001 के मध्य रा.प.आ. कार्यालय, पटना एवं 55 जि.प.प. में से 18[1] के 1995-96 से 2000-2001 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। इस समीक्षा में पूर्ववर्ती वर्षो में अन्य कार्यालयों में की गई नियमित लेखापरीक्षा के दौरान उठाये गये बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया गया है।

5.02.04 विशिष्टतायें

(i) राज्य में कुल निबंधित 210343 वाहनों के विरूद्ध मात्र 63183 वाहन ही कर का भुगतान कर रहे थे जो कुल निबंधित वाहनों का 30.03 प्रतिशत हुआ।
[कंडिका 5.02.05 (ii)]

(ii) *22 जिला परिवहन कार्यालयों में, फरवरी 2001 के अंत तक, 67526 कर बकायेदार वाहन मालिकों के विरूद्ध मांग पत्र निर्गत नहीं किये गये जिसके फलस्वरूप 181.39 करोड़ रुपये के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।*
[कंडिका 5.02.06 (क)]

[1] *बोकारो*, बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, *दुमका*, *देवघर*, *धनबाद*, पूर्वी-चम्पारण (मोतिहारी), *गोड्डा*, *जमशेदपुर*, *लोहरदगा*, नालन्दा (बिहारशरीफ), पूर्णिया, *राँची*, *साहेबगंज*, सारण (छपरा), रोहतास (सासाराम) और वैशाली (हाजीपुर)।

(iii) 9 जिला परिवहन कार्यालयों के अखिलेखों और जिला नीलामवाद पदाधिकारियों के अभिलेखों में दिखाये गये नीलामवाद के मामलों और अंतर्ग्रस्त राशि के आंकड़ों के मध्य 31 मार्च 2000 को 11092 मामलों में 49.01 करोड़ रुपये की विसंगति थी।

[कंडिका 5.02.10 (ii)]

(iv) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित 4047 वाहनों के विरूद्ध 38.47 करोड़ रुपये बकाये कर का 30 वर्षों के उपरांत भी भुगतान नहीं हुआ।

[कंडिका 5.02.10 (iii)]

(v) 5 जिला परिवहन कार्यालयों में नीलामवाद देनदारों के गलत पता होने के कारण 6.18 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 5.02.10 (iv)(ख)]

(vi) राजस्व संग्रहण के शेष को सरकारी लेखे में जमा करने के लिए चेक निर्गत करने की प्रक्रिया का उपयोग नहीं करने के कारण 31 मार्च 2001 तक 16 संग्रहकर्त्ता बैंकों के पास 4.26 करोड़ रुपये की राशि अवरूद्ध रही।

[कंडिका 5.02.12 ख]

(vii) कर प्राप्तियों से संबंधित विभागीय आंकड़े एवं वित्त लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों के मध्य मिलान नहीं करने के कारण 48.76 करोड़ रुपये का भारी राजस्व सरकारी लेखे से बाहर रह गया।

[कंडिका 5.02.13]

5.02.05 (i) बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच विचरण

वित्त लेखे के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों और बजट अनुमानों के आँकड़ों के मध्य की तुलना से विचरण उद्घटित हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

(लाख रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण
1995-96	190.00	157.80	(-) 17 %
1996-97	200.00	160.84	(-) 20 %
1997-98	193.90	174.07	(-) 10%
1998-99	220.00	164.96	(-) 25 %
1999-2000	257.99	178.47	(-) 31 %

बजट अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियाँ हमेशा कम थीं और विचरण 10 प्रतिशत और 31 प्रतिशत के मध्य था।

(ii) निबंधन/कर भुगतान कर रहे वाहनों की स्थिति

राज्य में निबंधित, कर भुगतान कर रहे/नहीं कर रहे परिवहन वाहनों की कुल संख्या से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं से उद्घटित हुआ कि वर्ष 1995-96 के अंत तक राज्य में निबंधित परिवहन वाहनों की कुल संख्या 170422 थी जिसमें से 47928 (28.12 प्रतिशत) ही कर भुगतान कर रहे थे। वर्ष 1999-2000 के अन्त तक निबंधित परिवहन वाहनों की संख्या 210343 थी और जिसमें कर भुगतान करने वाले 63183 (30.03 प्रतिशत) थे। यह देखा जा सकता है इस अवधि में जहाँ निबंधित परिवहन वाहनों में बढोत्तरी (23.42 प्रतिशत) थी, कर भुगतान करने वाले वाहनों की प्रतिशतता में उस अनुपात में बढोत्तरी नहीं हुई।

इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा (जून 2001) कि 20-25 वर्ष पूर्व निबंधित वाहनों का चलते रहने की स्थिति में होने की कोई उम्मीद नहीं है परन्तु उन्हें अनिबंधित नहीं किया गया। सड़क पर उपयोग के अयोग्य वाहनों का निबंधन रद्द करने की दिशा में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने को देखते हुए विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है।

5.02.06 (क) अभुक्त करों पर नियंत्रण का अभाव

बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत, कर का भुगतान उसी करारोपण पदाधिकारी को करना है जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है। निवास स्थान/व्यवसाय स्थल में परिवर्तन के मामले में, वाहन मालिक नये निबंधन प्राधिकार को कर का भुगतान कर सकता है बशर्ते कि.पूर्ववर्ती करारोपण पदाधिकारी से, जैसा कि विहित है,'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (अ.प्र.प.) प्रस्तुत करे। विहित प्रावधानों के अनुसार कर का समय पर भुगतान नहीं करने पर अर्थदण्ड आरोप्य है। रा.प.आ. के अनुदेशों के अनुसार (जून 1988 और नवम्बर 1990) जहाँ आवश्यक हो, कर बकायेदारों के विरुद्ध नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए।

22 जिला परिवहन कार्यालयों[2] में 31 मार्च 2001 को 68474 कर बकायेदार वाहनों पर अप्रैल 1973 और फरवरी 2001 के मध्य की अवधि में 182.85 करोड़ रुपये कर लम्बित थे। तदन्तर, यद्यपि कर भुगतान नहीं करने की अवधि में 67526 मामलों में अंतर्ग्रस्त बकाये कर के 181.39 करोड़ रुपये वाहन मालिकों के परिवर्तित पते या कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए वाहन के कागजातों के अभ्यर्पण से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे फिर भी बकाये कर के उद्ग्रहण हेतु संबंधित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत करने का प्रारम्भिक कदम भी उठाया नहीं उठाया गया। उन मामलों में जिनमें माँग पत्र निर्गत किये गये थे, न तो कोई राशि वसूली गयी और न उनके विरुद्ध नीलामवाद प्रक्रियाओं के प्रारम्भ करने के लिए कोई कार्रवाई ही की गयी।

(ख) कर का नहीं/कम उद्ग्रहण होना

बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार निबंधित मोटर वाहन का प्रत्येक मालिक ऐसे मोटर वाहन के लिए अनुसूची I एवं II में विनिर्दिष्ट दर पर पथ कर या/और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान करेगा।

[2] औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, *बोकारो, देवघर, दुमका*, गया, *गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर, लोहरदगा*, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णिया, *राँची*,रोहतास (सासाराम), *साहेबगंज*, सारण (छपरा) और वैशाली (हाजीपुर)।

6 जि.प.प.कार्यालय[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान देखा गया कि 67 मोटर वाहनों से फरवरी 1992 और अगस्त 2003 के मध्य की अवधि के लिए पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर या तो आरोपित नही किये गये या कम दरों पर आरोपित किये गये जिसके फलस्वरुप अर्थदण्ड के अतिरिक्त 9.07 लाख रुपये (पथ कर 0.21 लाख रुपये और अतिरिक्त मोटर वाहन कर 8.86 लाख रुपये) के राजस्व का नहीं/कम उद्ग्रहण हुआ।

(ग) रियायत की गलत स्वीकृति के कारण कर का कम उद्ग्रहण होना

मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था का मोटर वाहन जिसका उपयोग पूर्णत: शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों या कर्मचारियों के परिवहन या तत्संबंधी किसी भी क्रिया-कलाप के लिए होता है, तो रियायती दर पर कर लगना है। रा.प.आ. द्वारा जुलाई 1994 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशानुसार यदि वह शैक्षणिक संस्था या तो बिहार राज्य या केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त न हो, यह सुविधा नहीं दी जायेगी। तथापि, विभाग द्वारा (मई 1998) यह सुविधा वापस ले ली गयी और सितम्बर 2000 में निर्गत अनुदेशानुसार 14 मई 1998 के प्रभाव से कर का आरोपण/उद्ग्रहण वास्तविक बैठान क्षमता के आधार पर करना है।

12 जिला परिवहन कार्यालयों[4] में परिवहन वाहन जो बिहार/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय, विद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था के नाम से निबंधित नहीं थे, रियायती दर पर कर वसूले गये। रियायती दर पर कर के भुगतान की सुविधा वापस लेने के उपरान्त भी इन संस्थाओं से कम दरों पर करों का उद्ग्रहण हुआ जिसके फलस्वरुप जनवरी 1994 और अक्टूबर 2003 के मध्य की अवधि के लिए 72 वाहनों से 53.05 लाख रुपये के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

5.02.07 व्यवसायियों से व्यापार कर का आरोपण/ उद्ग्रहण नहीं होना

बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत मोटर वाहनों के विनिर्माता या व्यवसायी द्वारा विनिर्माता या व्यवसायी की तरह किये गये व्यवसाय के क्रम में रखे गये मोटर वाहनों पर अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वार्षिक दर से कर का भुगतान करना है।

9 जि.प.प. कार्यालयों[5] में यह देखा गया कि वर्ष 1994-95 और 2000-01 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन के 59 व्यवसायियों ने 53.82 लाख रुपये राशि के व्यवसाय कर का भुगतान नहीं किया था। इसके उद्ग्रहण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके फलस्वरुप 53.82 लाख रुपये के व्यवसाय कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसमें से 36.22 लाख रुपये मात्र एक व्यवसायी[6] के लेखे में था।

5.02.08 (क) पंजीयन चिन्ह प्रदान नहीं करने के कारण राजस्व की हानि

मो.वा. अधिनियम, 1988 और इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार जब अन्य राज्य से संबंधित मोटर वाहन इस राज्य में बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए रहता है, तो वाहन मालिक को इस आशय का घोषणा पत्र जमा कर बारह महीने के भीतर या बारह महीने बीतने के बाद तीस दिनों के भीतर किसी समय, 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' एवं उपयुक्त शुल्क के साथ वाहन का नया पंजीयन चिन्ह

[3] *बोकारो, धनबाद, गया, गोड्डा, जमशेदपुर* और वैशाली (हाजीपुर)।

[4] *बोकारो*, बेतिया, भागलपुर, *दुमका, धनबाद*, गया, *गोड्डा, जमशेदपुर*, नालन्दा, *राँची*, रोहतास (सासाराम) और वैशाली (हाजीपुर)।

[5] *बोकारो*, भागलपुर, *धनबाद, दुमका*, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), *गोड्डा, जमशेदपुर*, सारण (छपरा) और वैशाली (हाजीपुर)।

[6] *सर्वश्री टेल्को लिमिटेड, जमशेदपुर।*

प्रदान करने के लिए आवेदन देना है। यदि वाहन मालिक विहित अवधि के भीतर आवेदन देने में विफल हो जाता है तो उसे ऐसी राशि जो पहली और दूसरी या बाद की गलतियों के लिए क्रमश: एक सौ रुपये और तीन सौ रुपये तक हो सकती है, का भुगतान करना है।

10 जि.प.प. कार्यालयों[7] में यह देखा गया कि अन्य राज्यों से संबंधित 5357 मोटर वाहन इस राज्य में बारह महीने से अधिक से चलते रहे। विभाग द्वारा नया पंजीयन चिन्ह प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरुप 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 5.36 लाख रुपये जुर्माना सहित 12.50 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(ख) कर/शुल्क जमा नहीं करने के कारण राजस्व की हानि

बि.मो.वा.क. नियमावली, 1994 और निर्गत कार्यपालक अनुदेशों (मई 1980 और सितम्बर 1996) के प्रावधानों के अन्तर्गत करारोपण अधिकारी इससे संतुष्ट होने के बाद कि वाहन मालिक द्वारा देय राशि बैंक में जमा कर दी गयी है, आवश्यक कागजात/प्रमाण पत्र जिसके लिए राशि जमा की गयी, निर्गत करेंगे। तथापि, जि.प.प. को कागजात निर्गत करने के पूर्व ऐसी जमा राशि को बैंक सूची से जाँच लेना आवश्यक है।

2 जि.प.प. के कार्यालयों (भागलपुर और मुजफ्फरपुर) में बैंक सूचियों की जाँच से यह देखा गया (नवम्बर 1999 और जनवरी 2001 के मध्य) कि 62 मामलों मे, यद्यपि राशि जमा दिखायी गयी थी परन्तु वास्तव में राशि बैंक में जमा नहीं की गयी थी, जि.प.प. द्वारा जनवरी 1993 और मई 2000 के बीच की अवधि में बैंक में जमा राशि की जाँच किये बिना कर-प्रतीक/चालक अनुज्ञापत्र निर्गत कर दिये गये। जिसके फलस्वरुप जनवरी 1993 और मई 2000 के बीच की अवधि में 2.03 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। तथापि, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर नवम्बर 1999 में जि.प.प. मुजफ्फरपुर द्वारा 0.06 लाख रुपये का उद्ग्रहण किया गया।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर 1999 और फरवरी 2001 के मध्य) जि.प.प. मुजफ्फरपुर ने कहा (नवम्बर 1999) कि अन्य मामलों में माँग पत्र निर्गत किया जायेगा, जबकि जि.प.प. भागलपुर ने कहा (फरवरी 2001) कि एक कर्मचारी निलंबित किया जा चुका है एवं इन भुगतानों के विरुद्ध निर्गत चालक अनुज्ञापत्रों को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

5.02.09 योग्यता प्रमाण पत्रों की गलत स्वीकृति

बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 और इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार विहित अवधि के अन्दर यदि किसी मोटर वाहन से संबंधित भुगतेय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो वैसे कर दायी व्यक्ति को बकाये कर के साथ विहित दरों पर अर्थदण्ड का भी भुगतान करना होगा। मो.वा. अधिनियम, 1988 में प्रावधान है कि कोई परिवहन वाहन वैध रुप से निबंधित नहीं माना जायेगा जबतक विहित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत योग्यता प्रमाण पत्र (यो.प्र.प.) का धारक न हो। तदन्तर, समय-समय पर निर्गत रा.प.आ. के अनुदेशों, अंततम अनुदेश फरवरी 1999, के अनुसार मो.वा.नि. को यो.प्र.प. निर्गत करने के पूर्व अद्यतन कर भुगतान को सुनिश्चित कर लेना है।

[7] *बोकारो*, बेतिया, भागलपुर, *धनबाद*, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), *जमशेदपुर*, पटना, पूर्णिया, सारण (छपरा) और रोहतास (सासाराम)।

4 जिला परिवहन कार्यालयों[8] द्वारा प्रस्तुत कम्प्युटर विवरणियों/कराधान पंजियों की मो.या.नि. कार्यालयों के यो.प्र.प. पंजियों से तिर्यक जाँच करने के क्रम में यह देखा गया कि 24 वाहनों के लिए यो.प्र.प. स्वीकृत किये गये यद्यपि उनके विरुद्ध 9.20 लाख रुपये उद्ग्रहण हेतु बकाये थे। इसके फलस्वरुप, अक्टूबर 1990 और मार्च 2000 के मध्य विभिन्न अवधि में 9.20 लाख रुपये के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

5.02.10 (i) लम्बित बकाये

रा.प.आ. कार्यालय द्वारा कुल लंबित बकाये की स्थिति, उनकी वर्षवार विवरणी और किन स्तरों पर ये लंबित थे, प्रस्तुत नहीं की गयी। तथापि, विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2001 को 183.40 करोड़ रुपये नीलामवादी बकाये थे जिसमें से 183.33 करोड़ रुपये 5 वर्षों से अधिक पुराने थे।

(ii) नीलामवादी बकाये की यथातथ्यता

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (लो.माँ.व.) अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अन्तर्गत, अधियाचना अधिकारी नीलामवाद दायर करने के लिए नीलामवाद पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजते हैं और ऐसे मामलों का पूर्ण ब्यौरा पंजी 9 में प्रविष्ट करते हैं। नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा संधारित पंजी 10 में बकाये के उद्ग्रहण और नीलामवाद निर्गत करने हेतु इसकी प्रविष्टि की जानी है। राजस्व परिषद के अनुदेशों के अनुसार पंजी 9 के साथ पंजी 10 का मासिक मिलान आवश्यक है।

9 जि.प.प. के कार्यालयों[9] के अभिलेखो की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 31 मार्च 2000 को 150.10 करोड़ रुपये से अन्तर्गस्त 32750 नीलामवाद मामले निपटारा के लिए लम्बित थे। इसके विरुद्ध 21658 नीलामवाद मामले जिसमें 101.09 करोड़ रुपये अन्तर्ग्रस्त थे, संबंधित जिला नीलामवाद कार्यालयों में लम्बित दिखाये गये थे। इस प्रकार, छूटे हुए 11092 मामले जिसमें 49.01 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त थे, अपंजीकृत रहे। विभाग द्वारा अन्तर के समाधान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

(iii) बकाये का उद्ग्रहण नहीं होना

रा.प.आ. कार्यालय द्वारा प्राप्त करायी गयी सूचना के अनुसार सरकारी विभागों, निगमों, उपक्रमों आदि से संबंधित मोटर वाहनों के विरुद्ध बकाये कर की स्थिति 3 कार्यालयों में अन्तर्ग्रस्त 38.47 करोड़ रुपये थी जैसा कि नीचे है:-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	संस्था का नाम	वाहनों की संख्या	बकाये कर की अवधि (मध्य में)	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	*राँची*	भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड	27	अप्रैल 1973 और अप्रैल 1993	59.45
		मेकन लिमिटेड	08	जनवरी 1970 और जुलाई 1999	3.29
		सी.एम.पी.डी.आई. लिमिटेड	106	अक्टूबर 1974 और अप्रैल 1999	115.40

[8] बेगूसराय, *दुमका, गिरिडीह और राँची।*

[9] *धनबाद,* गया, *हजारीबाग, जमशेदपुर,* मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), पटना, *राँची* और सारण (छपरा)।

1	2	3	4	5	6
2	*धनबाद*	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	586	दिसम्बर 1977 और दिसम्बर 1999	624.91
3	रा.प.आ., बिहार, पटना	बि.रा.प.प.नि.	उ. नहीं	उ. नहीं	1489.82
		सरकारी विभाग	3320	अप्रैल 1961 और मार्च 2000	1554.19
	कुल		4047		3847.06

विभाग के पास अन्य संस्थाओं के विरुद्ध पड़े बकाये कर के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

इसे बताये जाने पर (मई 2001) रा.प.आ. ने कहा (मई 2001) कि सरकारी विभागों को माँग पत्र निर्गत किये जा चुके हैं (मार्च 1999 और अक्टूबर 2000) जबकि अन्य मामलों में जि.प.प. से सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं जिन्हें बाद में सूचित कर दिया जायेगा।

(iv) नीलामवाद मामलों के अन्तर्गत कर की वसूली नहीं होना

(क) अधियाचना पदाधिकारी द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं किया जाना

बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मोटर वाहन के अभुक्त कर नीलामवाद प्रक्रिया द्वारा भू-राजस्व के बकाये की तरह, अधियाचना पदाधिकारी द्वारा नीलामवाद पदाधिकारी को अधियाचना भेज कर वसूला जा सकता है। लो.माँ.व. अधिनियम, 1914, इसके अन्तर्गत बने नियमों एवं परिषद के कार्यपालक अनुदेशों में वैसे दोषी वाहन मालिकों, जिसके विरुद्ध नीलामवाद दायर करना है, अधियाचना पदाधिकारी द्वारा सही पता प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। तदन्तर, अधियाचना पदाधिकारी को नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा किसी भी मामले में वांछित प्रतिवेदन भेजना है।

2 जिला परिवहन कार्यालयों (*बोकारो* और सारण) में यह देखा गया कि अप्रैल 1976 और जनवरी 1998 के मध्य की अवधि से संबंधित 39 मोटर वाहनों से बकाये कर की वसूली के लिए संबंधित नीलामवाद कार्यालयों में दायर किये गये नीलामवाद पर दोषी मालिकों के सही पता के बारे में नीलामवाद पदाधिकारियों द्वारा अधियाचना पदाधिकारियों से (जून 1994 और फरवरी 2001 के मध्य) सूचनायें माँगी गयी थीं। लेकिन, अभी तक (अप्रैल 2001) कोई अनुपालन नहीं भेजा गया। इन मामलों में 17.59 लाख रुपये का राजस्व अंतर्ग्रस्त है।

(ख) नीलामवाद देनदारों का पता नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

एक बार नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने पर लो.माँ.व. अधिनियम में इसे बन्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, 5 जि.प.प.[10] में संबंधित नीलामवाद कार्यालयों के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से देखा गया कि अप्रैल 1973 और अप्रैल 1998 के मध्य की अवधि के लिए 618 लाख रुपये से अंतर्ग्रस्त देय कर के 559 नीलामवाद मामले संबंधित नीलामवाद कार्यालयों में 1984-85 और 1998-99 के बीच दायर किये गये। इनमें से 50 मामले जिसमें 29.40 लाख रुपये अन्तर्ग्रस्त थे, बन्द कर दिये गये और 588.60 लाख रुपये के 509 मामले अगस्त 1997 और जनवरी 2001 के बीच नीलामवाद देनदारों के गलत पता के कारण अधियाचना पदाधिकारी को लौटा दिये गये। इस तरह अधियाचना पदाधिकारी द्वारा मामलों का अनुपालन नहीं करने से 618 लाख रुपये से अंतर्ग्रस्त नीलामवाद का कार्यान्वयन नहीं हुआ।

[10] औरंगाबाद, *बोकारो, दुमका*, पूर्णिया और रोहतास (सासाराम)।

5.02.11 प्रमादी वाहनों की जाँच नहीं होना

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्त्तन पदाधिकारी और चलन्त दस्ता निरीक्षकों को अधिनियम और उसके अन्दर बने नियमों के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार में करना है। इसे समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न कार्यपालक अनुदेशों में, स्थानीय वाहनों की जाँच पर विशेष जोर देते हुए, दोहराया गया है।

(i) विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर प्रवर्त्तन शाखा (प्र.शा.) द्वारा जाँच की गई गाड़ियों की स्थिति निम्न प्रकार है -

वर्ष	कर प्रमादी वाहनों की कुल संख्या	जाँची गई कर प्रमादी वाहनों की कुल संख्या	जाँची गई कर प्रमादी वाहनों की प्रतिशतता (कॉलम 3 से 2)
1995-96	1064304	8900	3.82
1996-97	962911	7972	3.53
1997-98	1000958	2245	1.24
1998-99	853172	1582	0.72
1999-2000	1270142	948	0.52

उपर्युक्त आँकड़ों से यह सुस्पष्ट है कि जाँच की गई कर प्रमादी वाहनों की प्रतिशतता मात्र 0.52 और 3.82 के मध्य थी।

(ii) प्र.शा. को प्रमादियों की सूची प्रस्तुत करने पर भी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना

मुख्य सचिव के पत्रों (नवम्बर 1991 और जनवरी 1999) के अनुसार जिला दण्डाधिकारियों/समाहर्त्ताओं को प्रमादी वाहन मालिकों की सूची तैयार करनी है और अपने क्षेत्राधिकार वाले अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच, वैसे प्रमादियों को पकड़ने और न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए, वितरित करनी है।

जि.प.प. कार्यालय *राँची* और *धनबाद* में यह देखा गया कि प्र.शा. को अक्टूबर 1998 और फरवरी 2001 में, जिसकी करावधि अक्टूबर 1997 और सितम्बर 1998 एवं अप्रैल 2000 और मार्च 2001 के मध्य थी, क्रमश: 908 और 1139 प्रमादी वाहनों की सूची इन वाहनों की जाँच करने और पकड़ने के लिए दी गयी। तथापि, प्र.शा. ने की गयी कार्रवाई का कोई प्रतिवेदन संबंधित जि.प.प. को सुपुर्द नहीं किया। राँची कार्यालय में यह भी देखा गया कि 908 वाहनों में से 567 वाहन अभी भी प्रमादी सूची में थे। इसके फलस्वरुप, 260.03 लाख रुपये के बकाये कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

5.02.12 अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों का निष्पादन

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार सभी प्राप्तियों को अविलम्ब लेखा में लाना है एवं सरकारी लेखे में जमा कर देना है। अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों के लिए रा.प.आ. कार्यालय में एक पंजी का संधारण करना है। इन बैंक ड्राफ्टों को विभिन्न बैंकों में संग्रहण एवं भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा, पटना में स्थानान्तरण के लिए भेजा जाता है। सरकार के अनुदेशों (जून एवं नवम्बर 1978) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को संग्रहणकर्त्ता बैंकों से संग्रहणों को प्राप्त कर प्रत्येक

सप्ताह के अन्त तक सरकार के लेखे में जमा करना है। तदन्तर, रा.प.आ. के अनुदेशानुसार (मार्च 1996), बैंकों में जमा राशियों को सरकार के लेखे में इस प्रकार से स्थानान्तरित करना है कि सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक सरकार के लेखे में स्थानान्तरित हो जाए। बैंकों द्वारा सरकार के लेखे में संग्रहण के स्थानान्तरण में असफल होने पर, रा.प.आ. दोषी बैंकों के विरुद्ध, भा.स्टे.बै. सचिवालय शाखा में संग्रहणों को जमा करने के लिए चेक निर्गत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार (जून 1995), सरकार के लेखे में विलम्ब से प्रेषण के लिए बैंको द्वारा 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है।

(क) बैंक ड्राफ्ट के पुनर्वैधीकरण के अभाव में राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना

अन्य राज्यों से मिश्रित शुल्क के 27.17 लाख रुपये से अन्तर्ग्रस्त 1018 बैंक ड्राफ्ट बैंकों द्वारा रा. प. आ. कार्यालय को अप्रैल 2000 और मार्च 2001 के मध्य पुनर्वैधीकरण हेतु लौटाये गये, परन्तु विभाग द्वारा (मई 2001) वैधीकृत नहीं किये जाने के फलस्वरुप 27.17 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(ख) बैंक शेष के विरुद्ध चेक का निर्गत नहीं होना

पटना में 20 बैंक हैं जहाँ मिश्रित शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट जमा होते हैं। 31 मार्च 2001 तक 16 बैंको[11] में 426.20 लाख रुपये का अन्तशेष था जिनका संग्रहण 1999-2000 से 2000-01 की अवधि में किया गया था। रा.प.आ. द्वारा शेष बचे 4 बैंकों के अन्तशेष का ब्यौरा संबंधित बैंकों से माँगा गया था (मई 2001)।

विभाग द्वारा बैंकों के विरुद्ध चेक निर्गत कर संग्रहण को सरकार के लेखे में जमा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके फलस्वरुप बैंकों को अनुचित वित्तीय लाभ मिला।

(ग) बैंकों द्वारा राजस्व संग्रहण को जमा करने में विलम्ब

संग्रहणकर्त्ता बैंकों ने राजस्व संग्रहण को भा.स्टे.बै. सचिवालय शाखा के माध्यम से सरकार के लेखे में विहित अवधि में जमा नहीं किया और यह विलम्ब 1 महीना और 48 महीने से अधिक के बीच पाया गया। बैंकों द्वारा राजस्व को समय से जमा करने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग प्रभावशाली उपाय करने में अक्षम रहा। इसके फलस्वरुप 1994-95 तथा नवम्बर 2000 के मध्य की विभिन्न अवधि के लिए ब्याज के रुप में 321.16 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

5.02.13 सरकारी लेखे से राजस्व का बाहर रहना

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार,नियंत्रक पदाधिकारी (रा.प.आ.) का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार को देय सभी राशियों का नियमित और त्वरित रुप से कर निर्धारण, उद्ग्रहण एवं सरकार के लेखे में जमा होना देखे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के लेखे में जमा रकम उचित तरीके से लेखापित किये जा रहे हैं, विभागीय आँकड़ों का उनके आँकड़ों के साथ जो महालेखाकार (ले.एवं ह.) कार्यालय में दर्ज है, नियमित रुप से मिलान करना है। रा.प.आ. द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर यह

[11] इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, कारपोरेशन बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन औवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, युनियन बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक।

देखा गया कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रतिवेदित राजस्व प्राप्तियों एवं बिहार सरकार के वित्त लेखे में दर्शाये गये राजस्व प्राप्तियों के बीच भारी भिन्नता थी, जैसा कि ब्यौरा नीचे है:-

(करोड़ रुपये मे)

वर्ष	विभागीय आँकड़े	वित्त लेखे के अनुसार आँकड़े	भिन्नता
1998-99	188.15	164.96	(-) 23.19
1999-2000	204.04	178.47	(-) 25.57
कुल	**392.19**	**343.43**	**(-) 48.76**

यह दर्शाता है कि 1998-99 और 1999-2000 के बीच 48.76 करोड़ रुपये का मिलान नहीं हो सका। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1997-98 के (बिहार सरकार-राजस्व प्राप्तियाँ) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 5.2.12(क) में इसी प्रकार की भिन्नता वर्ष 1993-94 से 1997-98 के लिए 62.13 करोड़ रुपये की बतायी गई थी। विभाग ने (जून 1998) कहा कि भिन्नता के मिलान का कार्य किसी जिम्मेवार पदाधिकारी को सौंपा जायेगा। तथापि भिन्नता जारी रही। भिन्नता को मिलाने के लिए विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जुलाई एवं दिसम्बर 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2003)।

5.03 अभ्यर्पण में अन्तर्गस्त वाहनों से कर का उद्ग्रहण नहीं होना

बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी निश्चित अवधि के लिए जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्ते छूट का दावा आवश्यक साक्ष्यों जैसे, निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, कर-प्रतीक आदि से समर्थित हो। वाहन को उपयोग में नहीं लाने की अवधि के लिए विहित विधियों के अनुसरण के बाद ही वह कर भुगतान से छूट पाने योग्य है। उसे समय-समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी को अभ्यर्पण की अवधि विस्तार, यदि कोई हो, को बढाने हेतु वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(क) 2 जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर और मोतिहारी) में यह देखा गया (फरवरी और मार्च 2001) कि मार्च 1997 और अप्रैल 2000 के बीच 34 वाहनों के प्रलेख अनुपयोग की अवधि के लिए अभ्यर्पित किये गये थे। लेकिन अधिनियम में विहित प्रावधानों के विरुद्ध विहित अवधि के समाप्त होने के बाद भी बिना अवधि विस्तार के लिए नये वचन पत्र के ही वाहनों को अभ्यर्पित रखा गया। अभ्यर्पण के छः महीने के बाद की अवधि विस्तार के लिए घोषणा पत्र के अभाव में वाहन मालिक अप्रैल 1997 और दिसम्बर 2000 की अवधि के लिए 14.45 लाख रुपये के कर का देनदार था।

इसे बताये जाने पर (फरवरी और मार्च 2001) संबंधित जि.प.प. ने कहा (फरवरी और मार्च 2001) कि अभ्यर्पण रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2003)।

(ख) जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में यह देखा गया (फरवरी 2001) कि 11 मोटर वाहनों से जनवरी 1993 और दिसम्बर 2000 के मध्य पड़ने वाली विभिन्न अवधि के लिए पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ था जबकि कर भुगतान से छूट के आवेदनों को, वाहन के निर्दिष्ट स्थानों पर नहीं पाये जाने के कारण जैसा कि मोटर यान निरीक्षक/जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर रद्द कर दिया गया था (अप्रैल 1996 और दिसम्बर 2000 के मध्य)। इस प्रकार 12.15 लाख रुपये राशि के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर (फरवरी 2001) जि.प.प.,भागलपुर ने कहा (फरवरी 2001) कि बकाये कर के उद्ग्रहण हेतु माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

अध्याय 6 : भू-राजस्व

6.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान राजस्व अंचलों की लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जाँच से 398.43 करोड़ रुपये के उपकरों के नहीं लगाये जाने/कम लगाये जाने, राजस्व की हानि आदि के 458 मामलों का पता चला, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	उपकरों और/या उपकरों के बकाये पर ब्याज का नहीं लगाया जाना या कम लगाया जाना	93	1.45
2.	वाणिज्यिक लगान का निर्धारण नहीं होना	80	11.91
3.	सन्निहित भूमि की बदोबस्ती नहीं होना	149	2.98
4.	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होना	67	1.05
5.	अन्य अनियमितातायें	69	381.04
	कुल	**458**	**398.43**

वर्ष 2000-2001 के दौरान संबंधित विभाग ने 16.72 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण इत्यादि के 383 मामलों को स्वीकार किया जिनमें से 15.21 करोड़ रुपये के 293 मामले वर्ष 2000-2001 की लेखापरीक्षा में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 13.97 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

6.02 दान की गयी भूमि में अनियमिततायें

(क) 'भूदान यज्ञ' के अंतर्गत दान की गयी भूमि की बन्दोबस्ती नहीं होना-

भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार भूदान यज्ञ समिति में सन्निहित भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों या एक ग्राम समुदाय, ग्राम पंचायत या समिति द्वारा संगठित सहकारी समिति को विहित तरीके से देना है। भूमि प्राप्तकर्त्ता को वे सभी अधिकार, स्वामित्व या हित प्राप्त होंगे जो दानकर्त्ता को प्राप्त थे। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि प्राप्तकर्त्ता को लगान और उपकरों के भुगतान की शर्तों पर उस भूमि का भोगाधिकार होगा।

भूदान यज्ञ के लक्ष्य को पूरा करने हेतु सरकार को जिला भूदान यज्ञ समिति (जि.भू.य.स.) की भूमि के उचित परिमाप एवं वितरण हेतु सरकारी अमीनों की व्यवस्था करनी है।

जि.भू.य.स. रोहतास के अंतर्गत रोहतास जिला में वर्ष 1954-55 के दौरान 42636.35 एकड़ योग्य भूदान भूमि (गैरमजरुआ खास/मालिक भूमि) भूदान यज्ञ के अंतर्गत दान की गयी थी जिसमें से 2000-2001 तक 13514.7425 एकड़ भूमि वितरित की गई और 29121.6075 एकड़ भूमि वितरण हेतु

लंबित थी। जि.भू.य.स.एवं राज्य भूदान यज्ञ समिति पटना ने पूछ-ताछ के दौरान कहा (जून 2000 एवं जून 2001 के मध्य) कि शेष भूमि का वितरण सरकार द्वारा समुचित संख्या में सरकारी अमीनों की पदस्थापना नहीं करने, गाँव के नक्शों की अनुपलब्धता एवं निधि की कमी के कारण नहीं हो सकी है।

यदि सरकार ने पिछले 45-46 वर्षों में 29121.6075 एकड़ गैर मजरुआ (गै.म.) खास भूदान भूमि को वितरित की होती तो राजस्व लगान व उपकर के रुप में 355.96 लाख रुपये के (औसत लगान दर 15 रु. प्रति एकड़ प्रति वर्ष एवं समय-समय पर लागू भू-लगान के 6.25 प्रतिशत से 145 प्रतिशत तक उपकरों की विहित दरों पर) राजस्व की प्राप्ति होती।

इसे बताये जाने पर (जून 2000 एवं जून 2001 के मध्य) विभाग ने कहा (जून 2000 एवं जून 2001 के मध्य) कि सरकार एवं जि.भू.य.स. के बीच समन्वय द्वारा जि.भू.य.स. की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2000 एवं जून 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

(ख) दान की गयी भूमि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराना

सरकार ने सभी राजस्व पदाधिकारियों को निर्देश (अक्टूबर 1960) निर्गत किया कि भूमि से संबंधित अपूर्ण दानपत्रों के ब्यौरा संग्रहण में भूदान समिति के कर्मियों को पूर्ण सहयोग एवं सहायता दी जाय।

2 राजस्व जिलों रोहतास एवं भोजपुर में जो जि.भू.य.स. रोहतास के अंतर्गत आते हैं, वर्ष 1954-55 के दौरान 87853.72 एकड़ गै.म. खास/मालिक भूमि बिना विस्तृत ब्यौरे/अपूर्ण ब्यौरे के दान की गयी, जिसका वितरण जि.भू.य.स. द्वारा भूमि के ब्यौरे के अभाव में नहीं किया जा सका।पूछ-ताछ के दौरान जि.भू.य.स. एवं राज्य समिति पटना ने कहा कि दान की गयी भूमि का ब्यौरा अंचल कार्यालयों को उपलब्ध कराना है; परन्तु उन्होंने नहीं कराया।

यदि दान की गयी भूमि के ब्यौरे प्राप्त/उपलब्ध होते तो सरकार को 869.49 लाख रुपये (लगान 458.81 लाख रुपये एवं उपकर 410.68 लाख रुपये) के राजस्व की प्राप्ति होती।

इसे बताये जाने पर (जून 2000 एवं जून 2001 के मध्य) विभाग ने कहा कि अंचल अधिकारियों को दान की गयी भूमि के ब्यौरे जि.भू.य.स. को उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

6.03 कृषि बाजार समितियों से अनुपातिक आय की नहीं/कम वसूली होना

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अंतर्गत भूमि पर बिचौलियों का अधिकार समाप्त कर देने के फलस्वरुप उन बिचौलियों द्वारा लगाये जाने वाले हाट, बाजार पर से उनके अधिकार समाप्त हो गये और ऐसे बाजारों से उद्ग्रहण योग्य राजस्व,राज्य सरकार के राजस्व हो गये। सरकार ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश (अप्रैल 1974) निर्गत कर अपने प्रशासनाधीन बाजार क्षेत्रों का प्रबन्धन बिहार

कृषि उपज बाजार (बि.कृ.बा.) अधिनियम, 1960 के अंतर्गत स्थापित बाजार समितियों को, बाजार क्षेत्र से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत सरकारी लेखा में जमा करने के अनुबंध पर, हस्तांतरित करने को कहा।

प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य कृषि बाजार समिति पटना के कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध (जनवरी एवं मई 2001 के मध्य) कराये गये वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के अभिलेखों एवं विवरणियों की नमूना जॉच से उद्घटित हुआ कि वर्ष 1974-75 से 1996-97 के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बि.कृ.उ.बा. अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत 14 जिलों[1] के 25 बाजार समितियों को बाजार क्षेत्रों का प्रबंधन सौंपा था, परन्तु बाजार समितियों द्वारा वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के लिए देय (आय के 20 प्रतिशत) 68.28 लाख रुपये की राशि में से मात्र 57.13 लाख रुपये सरकारी लेखा में जमा कराया गया एवं 11.15 लाख रुपये जमा करने हेतु शेष रह गये। विभाग ने शेष राशि के उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की ।

विभाग (जून 2001) को इस बात की जानकारी दी गई। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

6.04 भू-लगान का निर्धारण और उद्ग्रहण नहीं होना

26 अगस्त 1993 के प्रभाव से संशोधित बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई रैयत[2] समाहर्त्ता की पूर्वानुमति से, मूल अधिनियम में विनिर्देशित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि का उपयोग कर सकता है। समाहर्त्ता को, ऐसी अनुमति देने से पहले, विहित तरीके से बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत तक किन्तु 3 प्रतिशत से कम नहीं, ऐसी भूमि के लगान का पुनर्निर्धारण करना है। इसके अतिरिक्त यदि किसी रैयत ने इस तरह से उपयोग के लिए पूर्वानुमति नहीं ली है तो उसके द्वारा भुगतेय लगान, यदि वह उपयोग की तिथि या अधिनियम के लागू होने की तिथि और आवेदन या पता लगने की तिथि, जैसा भी मामला हो, की अवधि के लिए ससमय आवेदन दिया होता, की दुगुनी राशि के भुगतान पर समाहर्त्ता द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमति दी जा सकती है।

7 जिलों[3] के 10 राजस्व अंचलों[4] में 327 रैयतों ने, जिन्हें अपनी भूमि पर खेती करने का काश्तकारी अधिकार प्राप्त था, 63 एकड़ भूमि को अगस्त 1950-51 से मार्च 1999-2000 की अवधि के दौरान दुकान, पेट्रोल पम्प, आरा मशीन,सिनेमा हॉल और होटल आदि निर्मित/स्थापित कर अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए परिवर्तित कर दिया। इनमें से किसी भी मामले में, लागू नियमों के अंतर्गत लगान पुन: निर्धारित कर अधिभोग के अधिकार को नियमित करने के लिए लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) तक कोई कार्रवाई नही की गयी थी और रैयत, कृषि लगान पर ही अपने काश्तकारी अधिकार को लगातार बनाये हुए थे। इसके फलस्वरूप 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि में 112.38 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

[1] औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) , गया,जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया,सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढी, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)

[2] रैयतः- काश्तकार

[3] बेगूसराय, भभुआ, जमुई, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, शेखपुरा एवं सीतामढी।

[4] बरबीघा, बरगैनिया, भगवानपुर (बेगूसराय), खैरा, बिहारशरीफ, भगवानपुर (भभुआ), गिरियक, जमुई, कुढनी एवं रहुई।

इन्हें बताये जाने पर (जून 2000 और जनवरी 2001 के मध्य) संबंधित अंचल अधिकारियों ने कहा (जून 2000 और जनवरी 2001 के मध्य) कि लगान के उद्ग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

6.05 सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण का नहीं हटाया जाना/बन्दोबस्ती नहीं किया जाना

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया हो या किसी अतिक्रमण को जारी रखने का उत्तरदायी हो तो बिहार सरकार भू-संपत्ति (खास महाल) नियमावली, 1953 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अतिक्रमण को खाली करने या वैसी भूमि के उपयोग के लिए लगान और क्षति का भुगतान करने पर उस व्यक्ति को वैसी सार्वजनिक भूमि की बंदोबस्ती करने हेतु सूचना निर्गत की जा सकती है। तदनुसार, आवासीय उद्येश्यों के लिए उपयोग से सार्वजनिक भूमि के मूल्य में हुई क्षति होने पर, लागू बाजार मूल्य के आधार पर उस जमीन की सलामी और ऐसी सलामी के पचासवें भाग के साथ आवासीय लगान के रुप में भुगतेय है। सरकारी भूमि के अतिक्रमण का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) मे भी उल्लेख है {कंडिका 6.02(ख)}।

2 जिलों (बेगूसराय एवं पटना) के 3 राजस्व अंचलों[5] मे यह देखा गया (जुलाई एवं अक्टूबर 2000 के मध्य) कि 17 व्यक्तियों ने 0.2406 एकड़ सार्वजनिक भूमि पर आवासीय उद्येश्यों से मकानों का अवैध निर्माण कर लिया था। तथापि उक्त भूमि के अतिक्रमण को खाली कराने या नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके फलस्वरुप 22.51 लाख रुपये के आवासीय लगान और सलामी का निर्धारण/उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इन्हें बताये जाने पर (जुलाई एवं अक्टूबर 2000 के मध्य) संबंधित अंचल अधिकारियों ने कहा (जुलाई एवं अक्टूबर 2000 के मध्य) कि अतिक्रमण हटाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल एवं मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

6.06 भू-लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों का नहीं लगाया जाना

बिहार भू-लगान (भुगतान से विमुक्ति) अधिनियम, 1982 के अंतर्गत सरकार ने छोटानागपुर और संथालपरगना के असैनिक प्रमंडलों के 7 जिलों मे 3 हेक्टेयर तक और राज्य के अन्य जिलों मे 2 हेक्टेयर तक की छोटी जमाबंदी पर 1 अप्रैल 1978 से लगान से छूट दे दी। तथापि उक्त अधिनियम के अनुसार, ऐसी जमाबंदी पर विभिन्न उपकरों जैसे पथ उपकर, शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर और कृषि विकास उपकर जो संबद्ध उपकर अधिनियम के अंतर्गत आरोप्य है, से छूट नहीं दी गयी थी। सितम्बर 1982 में सरकार ने विभिन्न उपकरों की संशोधित दरों की सूचना निर्गत करते समय बिहार के सभी राजस्व पदाधिकारियों को भू-लगान से विमुक्त काश्तकारों सहित सभी काश्तकारों पर उक्त उपकरों को आरोपित करने और संग्रहित करने के लिए निदेशित किया।

[5] बेगूसराय, फुलवारीशरीफ और पटना सदर।

4 जिलों[6] के 7 राजस्व अंचलों[7] मे यह देखा गया (अप्रैल एवं नवम्बर 2000 के मध्य) कि भू-लगान से विमुक्त जमाबंदियो पर उपकर नहीं लगाये गये थे। वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के लिए नहीं लगाये गये उपकरों की कुल राशि 19.19 लाख रुपये संगणित की गयी।
इन्हें बताये जाने पर (अप्रैल और नवम्बर 2000 के मध्य) संबंधित अंचल अधिकारियों ने कहा (मई और नवम्बर 2000) कि कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नही हुये हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

6.07 विभागीय प्राप्तियों के व्यय का अनाधिकृत विचलन एवं लेखापित नहीं करना

बिहार वित्त नियम खंड-I के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय नियंत्रक पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि सरकार को देय सभी राशियों का नियमित और त्वरित कर निर्धारण, उद्ग्रहण एवं लोक लेखे में जमा करने की कार्रवाई हो रही है। तदन्तर बिहार कोषागार संहिता भी उपबंधित करता है कि राज्य के राजस्व के रुप में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त या उसे समर्पित सभी राशियाँ कोषागार या बैंक में अनावश्यक विलम्ब के बिना जमा किया जायेगा।

राजस्व अंचल पारु (मुजफ्फरपुर) में यह देखा गया (जून 2000) कि भू-राजस्व और चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के मद में संग्रहित किये गये 6.16 लाख रुपये कोषागार में जमा करने के बदले व्यय के दूसरे शीर्षों में खर्च कर दिये गये। इसके फलस्वरुप राशियों का लेखापन सुसंगत राजस्व शीर्ष में नहीं हो सका एवं व्यय में अनधिकृत विचलन कर दिया गया।

इसे बताये जाने पर (जून 2000) अंचल अधिकारी ने कहा (जून 2000) कि संबंधित व्यय शीर्ष में आबंटन नहीं प्राप्त होने के कारण विभागीय प्राप्तियों का विचलन किया गया।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

[6] भभुआ, कटिहार, नालन्दा और पूर्णिया।

[7] बिहारशरीफ, बनमनखी , चॉद, हरनौत, मनिहारी, रहुई और सरमेरा।

अध्याय 7 : अन्य कर प्राप्तियाँ

7.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 64.92 करोड़ रुपये के कर, फीस, शुल्क का अवनिर्धारण और राजस्व की हानि आदि के 7677 मामलों का पता चला, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क.	**मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस**		
1.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण कम कर आरोपित होना	30	0.01
2.	गलत छूट की स्वीकृति	68	0.39
3.	संशोधित दरों की देर से प्राप्ति के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम उद्ग्रहण होना	87	0.28
4.	अन्य अनियमिततायें	7452	22.50
	कुल	7637	23.18
ख.	**ईख पर कर**		
1.	बकाये कर पर ब्याज का नहीं लगाया जाना	6	1.74
2.	कारखाने से चीनी हटाए जाने पर कर की वसूली नहीं करना	7	1.46
3.	अन्य अनियमिततायें	3	0.59
	कुल	16	3.79
ग.	**माल एवं यात्रियों पर कर/प्रवेश कर**		
1.	प्रवेश कर/अर्थदण्ड का निबंधन/आरोपण नहीं होना	9	2.05
2.	प्रवेश कर का भुगतान नहीं होना/छिपाया जाना	3	0.83
3.	अन्य अनियमिततायें	2	33.24
	कुल	14	36.12
घ.	**विद्युत शुल्क**		
1.	अधिभार का कम लगाया जाना	3	0.36
2.	विद्युत शुल्क की माँग का उद्ग्रहण नहीं होना	1	0.70
3.	विद्युत शुल्क के बकाये पर शास्ति का नहीं लगाया जाना	1	0.54
	कुल	5	1.60
ड़.	**मनोरंजन कर**		
1.	कर का कम लगाया जाना	2	0.10
2.	मनोरंजन कर का कम भुगतान होना	1	0.04
3.	अन्य अनियमिततायें	2	0.09
	कुल	5	0.23
कुल योग		**7677**	**64.92**

वर्ष 2000-2001 के दौरान संबंधित विभागों ने 4069 मामलों में सन्निहित 0.31 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जो वर्ष 2000-2001 में लेखापरीक्षा के दौरान बताये गये थे। दृष्टांतस्वरूप 2.82 करोड़ रुपये से अंतर्ग्रस्त कुछ मामले निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये जा रहे हैं :-

क. मुद्रांक और निबंधन फीस

7.02 बंधक दस्तावेजों पर अनियमित छूट की स्वीकृति

जून 1996 में निर्गत अधिसूचना द्वारा सरकार ने किसी विशेष प्रयोजन के व्यय के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भूमि विकास बैंक से दो लाख रुपये तक ऋण प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस लगाये जाने से छूट प्रदान की है।

6 जिला अवर निबंधक (जि.अ.नि.) कार्यालयों[1] एवं 3 अवर निबंधक (अ.नि.) कार्यालयों (फारबिसगंज, जोकिहाट एवं महनार) में यह देखा गया (अगस्त एवं दिसम्बर 2000 के मध्य) कि वर्ष 1995 एवं 1997 के मध्य निष्पन्न 566.25 लाख रुपये मूल्य के 304 दस्तावेजों में राष्ट्रीयकृत तथा भूमि विकास बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों से ऋण लेने के लिए 49.83 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस के भुगतान से अनियमित छूट दी गयी थी।

इन्हें बताये जाने पर (अगस्त एवं दिसम्बर 2000 के मध्य) जि.अ.नि., जमुई ने कहा (अगस्त 2000) कि उद्ग्रहण के लिए कार्रवाई की जा रही है। जि.अ.नि., कटिहार, अररिया,सुपौल तथा अ.नि., जोकिहाट ने कहा (नवम्बर एवं दिसम्बर 2000) कि सरकारी निर्देशों के प्राप्त होने (जुलाई 1997) के बाद छूट नहीं दी गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जुलाई 1997 से पहले की छूट के मामलों में राशि के उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। 4 अन्य कार्यालयों (शेखपुरा, वैशाली, फारबिसगंज तथा महनार) में कहा गया कि (अगस्त एवं सितम्बर 2000 के मध्य) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

ख. विद्युत शुल्क

7.03 अधिभार का कम लगाया जाना

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभुक्त या बेची गयी उर्जा पर दो पैसे प्रति इकाई की दर से अधिभार, 1 अगस्त 1985 के प्रभाव से, आरोप्य है।

2 वाणिज्य कर अंचलों (मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर) में यह देखा गया (मई 2000) कि 3 अनुज्ञप्तिधारियों[2] ने वर्ष 1990-91 से 1997-98 के दौरान 19.10 करोड़ इकाई उर्जा की बिक्री की परन्तु कर निर्धारण पदाधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय (अगस्त 1998 एवं दिसम्बर 1999 के

[1] अररिया, जमुई, कटिहार, शेखपुरा, सुपौल एवं वैशाली।

[2] 1. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल (उत्तरी), समस्तीपुर 2. कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर 3. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर।

मध्य) 38.19 लाख रुपये के आरोप्य अधिभार के विरुद्ध मात्र 2.20 लाख रुपये का अधिभार आरोपित किया। इस प्रकार, 35.99 लाख रुपये का अधिभार कम आरोपित हुआ।

इन्हें बताये जाने पर (मई 2000), वाणिज्यकर उपायुक्त मुजफ्फरपुर ने 2 मामलों में कहा (मई 2000) कि संशोधित माँग पत्र निर्गत किये गये है और सहायक आयुक्त समस्तीपुर के मामले में यह बताया गया (जून 2000) कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नही हुए है (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2003)।

ग. ईख पर कर

7.04 ईख के क्रय पर कम कर का भुगतान होना

बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निश्चित स्थानीय क्षेत्र में ईख के उपभोग या उपयोग के लिए ईख के प्रवेश पर या वहाँ स्थित कारखाने में बिक्री करने पर या कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा या उसकी ओर से ईख की खरीद पर 1 रुपया प्रति क्विंटल की दर से कर आरोप्य है। अधिनियम में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा कारखाने से चीनी तब तक नहीं हटायी जा सकती जब तक कि इसपर देय कर का भुगतान न हो गया हो और संबंधित ईख पदाधिकारी से भुगतान सम्बंधी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया गया हो। अधिनियम में न तो कर से छूट का प्रावधान है और न ही आंशिक भुगतान की अनुमति है।

1999-2000 के पेराई वर्ष के दौरान राज्य के 4[3] और उत्तरप्रदेश के 1[4] चीनी मिलों ने क्रमश: 118.84 लाख क्विंटल और 3.02 लाख क्विंटल ईख की खरीद की। तथापि, उन्होंने 118.84 लाख रुपये और 3.02 लाख रुपये के विरुद्ध क्रमश: 75.05 लाख रुपये और 1.20 लाख रुपये के कर का भुगतान किया। इस प्रकार 45.61 लाख रुपये के कर का कम भुगतान हुआ।

इसे बताये जाने पर (मार्च 2001) विभाग ने कहा (मई 2001) कि 3 चीनी मिलों से 19.09 लाख रुपये की राशि का उद्ग्रहण हो गया है । तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2003)।

7.05 बकाये कर पर ब्याज का नहीं लगाया जाना

बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) अधिनियम, 1981 और उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत चीनी मिल के अधिष्ठाता द्वारा ईख की खरीद पर देय कर के भुगतान नहीं करने के मामले में, बैंक की दरों में परिवर्तनशीलता की शर्तों पर, 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलनीय है।

ईख आयुक्त, पटना के कार्यालय में चीनी मिलों द्वारा ईख की खरीद पर वर्ष 1994-95 तक एवं 1995-96 से 1998-99 से संबंधित वर्षों के लिए चीनी मिलों द्वारा खरीदी गयी ईख पर कुल बकाया

[3] बगहा, मोतिहारी,मझौलिया और सासामूसा।
[4] सेवराही।

13.65 करोड़ रुपये वर्ष 1999-2000 में उद्ग्रहण हेतु लम्बित था। बकाये कर पर भुगतेय 150.12 लाख रुपये का ब्याज न तो आरोपित किया गया और न वसूला ही गया।

इसे बताये जाने पर (मार्च 2001) विभाग ने कहा (मार्च 2001) कि राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2003)।

अध्याय 8 : खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ

8.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में खनन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से लगान, रॉयल्टी, शुल्क इत्यादि के 52 मामलों में 14.58 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण तथा हानि का पता चला, जो सामान्य रूप से निम्नलिखत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी और उपकर का नहीं/कम लगाया जाना	8	0.17
2.	ब्याज का नहीं लगाया जाना	10	0.06
3.	अर्थदण्ड/जुर्माना का नहीं लगाया जाना	15	5.13
4.	मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का नहीं लगाया जाना	7	0.99
5.	बालूघाटों की बंदोबस्ती नहीं होने/अनियमित बन्दोबस्ती होने के कारण नीलाम राशि का नहीं/कम लगाया जाना	3	0.02
6.	नीलामवाद प्रक्रियाओं का प्रारंभ नहीं किया जाना	3	7.27
7.	अन्य अनियमिततायें	6	0.94
	कुल	**52**	**14.58**

वर्ष 2000-2001 के दौरान विभाग ने 6 मामलों में निहित 7.66 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जो वर्ष 2000-2001 की लेखापरीक्षा में बताये गये थे। दृष्टांतस्वरूप 9.57 करोड़ रुपये से अन्तर्ग्रस्त कुछ मामले निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

लघु खनिज

8.02 अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपित करना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली (नियमावली), 1972 तथा उसके अधीन दिनांक 27 मार्च 1992 को सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अन्तर्गत प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक/ईंट मिट्टी हटाने वाले व्यक्ति को अनुज्ञप्ति निर्गत होने से पहले ईंट भट्ठों की श्रेणियों के आधार पर विहित समेकित रॉयल्टी की राशि का भुगतान करना होगा। तदन्तर नियम 40(8) के अन्तर्गत, जो कोई बिना वैध पट्टा/अनुज्ञप्ति के लघु खनिज को हटायेगा उसे उसके मूल्य का भुगतान करना होगा तथा सरकार उस व्यक्ति से बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के अधिभोग में भूमि को रखने की अवधि के लिए लगान, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, की भी वसूली कर सकती है।

14 जिला खनन कार्यालयों में यह पाया गया (मई 1997 एवं सितम्बर 2000 के मध्य) कि भट्ठा मालिकों ने बिना कोई वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किये तथा बिना विहित समेकित रॉयल्टी का भुगतान किये 4005 ईंट भट्ठे (ईंट मौसम 1994-95 से 1999-2000) संचालित किये। इनमें से 3425 मामलों में अर्थदण्ड के रुप में खनिज ईंट मिट्टी के मूल्य की वसूली की माँग नहीं की गई जबकि 7 जिला खनन

कार्यालयों[1] से संबंधित 580 मामलों में अर्थदण्ड के रुप में खनिज के मूल्य के लिए 2000 रुपये से 22000 रुपये तक की माँग खनिज का मूल्य सन्दर्भित किये बिना की गई।

खनिज के न्यूनतम मूल्य को रॉयल्टी के समरुप लेने पर तथा उस पर आरोपित अर्थदण्ड की राशि को घटाने पर 883.21 लाख रुपये की राशि का अर्थदण्ड नहीं/कम आरोपित किया गया जैसा कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

इन्हें बताये जाने पर (मई 1997 एवं सितम्बर 2000 के मध्य) जिला खनन पदाधिकारी, छपरा ने कहा (सितम्बर 2000) कि अर्थदण्ड लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिहार लघु खनिज नियमावली, 1972 के नियम 40(8) के अनुसार बिना अनुज्ञप्ति के ईंट भट्ठों का संचालन करने पर अर्थदण्ड लगाया जाना है। तथापि जिला खनन पदाधिकारी गया ने कहा (अगस्त 2000) कि अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000 एवं मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

8.03 बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

नियमों के अन्तर्गत बालू की बन्दोबस्ती जिला समाहर्ता द्वारा एक पंचांग वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है तथा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में विहित मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर बंदोबस्ती विलेख निष्पादित किया जाता है।

5 जिला खनन कार्यालयों[2] में 161 बालूयुक्त क्षेत्रों को वर्ष 1999 और 2000 के लिए नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बंदोबस्ती के समुचित विलेखों के निष्पादन के बिना 11.79 करोड़ रुपये पर बंदोबस्त किया गया। इस प्रकार 74.16 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई।

इन्हें बताये जाने पर (अप्रैल एवं सितम्बर 2000 के मध्य) जि.ख.प., मुंगेर ने कहा (अप्रैल 2000) कि मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा अन्य जिला खनन पदाधिकारियों ने तर्क दिया (मई एवं सितम्बर 2000 के मध्य) कि ऐसे विलेख ऐच्छिक होने से मुद्रांक शुल्क भुगतेय नहीं था। नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के सभी मामलों में विलेख का निष्पादन किया जाना अपेक्षित है।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

[1] बिहारशरीफ, छपरा, गया, मधुबनी, पटना, रोहतास एवं सीतामढी।

[2] गया, पटना,मुंगेर, जमुई एवं रोहतास।

अध्याय 9 : अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ

9.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 17.32 लाख रुपये के 57 मामलों में राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने आदि का पता चला जो मुख्यत: निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क.	**वन प्राप्तियाँ**		
1.	विभागीय चूकों के कारण राजस्व की हानि	6	3.72
2.	माँग का कम सृजित किया जाना	3	0.40
3.	नीलामवाद प्रक्रियाओं के प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	1	0.31
4.	बिक्री कर का उद्ग्रहण नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	2	0.09
5.	अन्य अनियमितताऐं	6	0.30
	कुल	**18**	**4.82**
ख.	**जल दर**		
1.	सिचाई के लक्ष्य का निर्धारण नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	13	1.39
2.	जल दर के निर्धारण में विलम्ब	15	6.72
3.	अन्य अनियमितताऐं	11	4.39
	कुल	**39**	**12.50**
	कुल योग	**57**	**17.32**

वर्ष 2000-2001 के दौरान संबंधित विभागों ने 14 मामलों में अंतर्ग्रस्त 5.38 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें से 3.41 करोड़ रुपये से अंतर्ग्रस्त 5 मामले 2000-2001 की लेखापरीक्षा में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बतलाये गये थे । दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले जिसमें 1.12 करोड़ रुपये निहित हैं, निम्नलिखित कण्डिकाओं में दिये गये हैं :-

क. वन प्राप्तियाँ

9.02 गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विचलन में माँग का सृजन नहीं किया जाना

वन भूमि की उत्पादक क्षमता के ह्रास की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने नवम्बर 1991 में, गैर-वानिकी उद्येश्यों के लिए विचलन के मामलों में उपभोक्ता अभिकरणों से वन भूमि का शुद्ध वर्त्तमान मूल्य (शु.व.मू.) के उद्ग्रहण हेतु आदेश निर्गत किया।

सरकार ने मई 1998 के संकल्प के अनुसार, 1997-98 तक की अवधि के लिए शु.व.मू. की संशोधित दरें निर्धारित की और निर्णय लिया कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए दरें संशोधित नहीं की जाती हैं तो उसे पूर्ववर्ती वर्ष के शु.व.मू. में 10 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् निर्धारित की जायेगी।

गया वन प्रमण्डल में यह देखा गया (अगस्त 2000) कि 3 मामलों में 3 उपभोक्ता अभिकरणों[1] द्वारा 11.62 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग गैर-वानिकी उद्येश्यों के लिए किया गया। विभाग लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2000) तक शु.व.मू. की माँग सृजित करने में असफल रहा। इसके फलस्वरुप 39.73 लाख रुपये की माँग का सृजन नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 2000) विभाग ने उपभोक्ता अभिकरणों के विरुद्ध 39.73 लाख रुपये के शु.व.मू. के लिए माँग का सृजन किया (मार्च 2001)। उद्ग्रहण का विवरण प्राप्त नही हुआ है (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

9.03 विभागीय प्राप्तियों का लेखापित नहीं किया जाना

बिहार कोषागार संहिता में प्रावधान है कि वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा प्राप्त की गयी रकम को यथाशीघ्र कोषागार में वन प्रेषणों के रुप में जमा करने हेतु भुगतान किया जायेगा। नियमों में पुन: प्रावधान है कि यदि कोई वन पदाधिकारी प्राप्तियों का उपयोग चालू व्यय के लिए करता है तो उसे इस प्रकार उपयोग की गयी राशि के लिए एक चेक जो स्वयं के पक्ष में आहरित तथा "वन विभाग को अंतरण जमा द्वारा भुगतान पाया" शब्दों द्वारा स्वयं पृष्ठांकित कर कोषागार को भेजना चाहिए।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 2001) कि राजस्व पंजी के अनुसार नवम्बर 1997 एवं मार्च 2000 की अवधि के मध्य मछली घर, नौकायन एवं लघु रेलगाड़ी के टिकटों की बिक्री के रुप में कुल 21.60 लाख रुपये का उद्ग्रहण किया गया। तथापि रोकड़ बही के अनुसार मार्च 2000 तक मात्र 12.32 लाख रुपये की राशि ही कोषागार में जमा की गयी। इस प्रकार, 9.28 लाख रुपये की राशि सरकारी लेखा के बाहर रही।

इसे बताये जाने पर (फरवरी 2001), उद्यान के निदेशक ने कहा (फरवरी 2001) कि मामले की जाँच की जायेगी, तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

[1] अजय झंझरी, नवादा 2. विवेक झंझरी, नवादा और 3. श्रीमती प्रेम जैन, नवादा

ख. जल दर

9.04 खतियानी की तैयारी नहीं होने के कारण माँग का सृजन नहीं किया जाना

बंगाल सिचाई अधिनियम, 1876 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन, जैसा बिहार में भी लागू है, जल दर की वसूली हेतु खरीफ के लिए 99 दिनों एवं रबी फसल के लिए 68 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर विभिन्न औपचारिकतायें जैसे, सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकर) की तैयारी, कृषकवार विस्तृत मापों (खसरा) की तैयारी और माँग विवरणियों (खतियानी) की तैयारी पूरी की जाने की जरुरत है।

2 नहर प्रमंडलों (पूर्वी सोन नहर प्रमंडल, औरंगाबाद एवं सोन नहर प्रमंडल, डेहरी) में यह देखा गया (जुलाई एवं सितम्बर 2000 के मध्य) कि वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान 94692.58 एकड़ (खरीफ 61098.64 एकड़, रबी 33593.94 एकड़) सिंचित भूमि की खतियानी तैयार नहीं की गयी और न राजस्व के संग्रहण हेतु माँग सृजित करने के लिए राजस्व प्रमंडल को समय पर भेजी गयी। इसके फलस्वरुप 62.93 लाख रुपये के जल दर की माँग सृजित नहीं की जा सकी।

इसे विभाग को बताये जाने पर (जुलाई एवं सितम्बर 2000 के मध्य), अधीक्षण अभियंता औरंगाबाद ने कहा (अक्टूबर 2001) कि 48.14 लाख रुपये की कुल राशि का उद्ग्रहण कर लिया गया है जबकि कार्यपालक अभियंता, डिहरी ने कहा (जुलाई 2000) कि अमीन की कमी के कारण खतियानी कार्य पूरा नहीं हुआ। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि सरकारी राजस्व के हित में खतियानी की तैयारी के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2003)।

पटना
दिनांक 17 APR 2003

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
बिहार.

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 29 APR 2003

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपित करना

(कंडिका संख्या 8.02 में निर्दिष्ट)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिला खनन कार्यालय के नाम	वर्ष	ईंट भट्ठों की श्रेणी	भट्ठों की संख्या	प्रति भट्ठा समेकित रॉयल्टी की राशि (रुपये)	आरोप्य रॉयल्टी की कुल राशि	रॉयल्टी के समरुप आरोप्य अर्थदण्ड	आरोपित अर्थदण्ड	अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपित करना
1	पटना	1996-97	II	13	45000	5.85	5.85	0.33	5.52
			V	13	22500	2.93	2.93	-	2.93
		1998-99 से 1999-00	II	37	45000	16.65	16.65	-	16.65
			IV	9	30000	2.70	2.70	-	2.70
			V	141	22500	31.73	31.73	-	31.73
2	नवादा	1998-99 से 1999-00	IV	7	30000	2.10	2.10	-	2.10
			V	328	22500	73.80	73.80	-	73.80
			VI	1	2500	0.03	0.03	-	0.03
3	रोहतास (सासाराम)	1998-99	V	278	22500	62.55	62.55	9.80	52.75
		1999-00	IV	6	30000	1.80	1.80	-	1.80
			V	255	22500	57.38	57.38	-	57.38
4	छपरा	1998-99	IV	4	30000	1.20	1.20	0.1	1.10
			V	70	22500	15.75	15.75	1.75	14.00
		1999-00	IV	9	30000	2.70	2.70	0.23	2.47
			V	105	22500	23.63	23.63	2.60	21.03
5	जमुई	1998-99 एवं 1999-00	IV	11	30000	3.30	3.30	-	3.30
			V	43	22500	9.68	9.68	-	9.68
6	मुंगेर	1998-99	IV	6	30000	1.80	1.80	-	1.80
			V	10	22500	2.25	2.25	-	2.25
7	गया	1998-99	IV	27	30000	8.10	8.10	-	8.10
			V	310	22500	69.75	69.75	-	69.75
	गया	1999-00	IV	15	30000	4.50	4.50	0.33	4.17
			V	340	22500	76.50	76.50	11.64	64.86
	जहानाबाद	1998-99	IV	4	30000	1.20	1.20	-	1.20
			V	169	22500	38.03	38.03	-	38.03
	जहानाबाद	1999-00	IV	18	30000	5.40	5.40	0.19	5.21
			V	197	22500	44.32	44.32	1.80	42.52
8	बेतिया	1998-99	IV	27	30000	8.10	8.10	-	8.10
			V	156	22500	35.10	35.10	-	35.10
9	मधुबनी	1994-95 से 1996-97	V	24	22500	5.40	5.40	2.12	3.28
10	मोतिहारी	1998-99	IV	10	30000	3.00	3.00	-	3.00
			V	284	22500	63.90	63.90	-	63.90
11	सीतामढी	1997-98 एवं 1998-99	V	342	22500	76.95	76.95	7.44	69.51
12	सीवान	1995-96 एवं 1996-97	IV	6	30000	1.80	1.80	-	1.80
			V	283	22500	63.68	63.68	-	63.68
13	वैशाली	1997-98 एवं 1998-99	IV	24	30000	7.20	7.20	-	7.20
			V	254	22500	57.15	57.15	-	57.15
14	बिहारशरीफ	1998-99	IV	4	30000	1.20	1.20	0.20	1.00
			V	86	22500	19.35	19.35	4.65	14.70
		1999-00	IV	2	30000	0.60	0.60	-	0.60
			V	77	22500	17.33	17.33	-	17.33
कुल				**4005**		**926.39**	**926.39**	**43.18**	**883.21**